

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 36]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 8 सितम्बर 2023—भाद्र 17, शक 1945

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 अगस्त 2023

क्र. ई-1-143-2023-5-एक.—श्री अजय कटसरिया, भाप्रसे (2012), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रबंध संचालक, महिला वित्त एवं विकास निगम, भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

(2) श्री संजय कुमार जैन, भाप्रसे (2015), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग तथा अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश, राज्य परिसम्पत्ति प्रबंधन कम्पनी, भोपाल तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश, राज्य सड़क परिवहन निगम, भोपाल तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है. 7385

क्र. ई-1-144-2023-5-एक.—श्री शेरसिंह मोना, भाप्रसे (2017), अपर कलेक्टर, जिला जबलपुर तथा अपर आयुक्त, नगर पालिक निगम, जबलपुर (अतिरिक्त प्रभार) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, क्षेत्रीय संभागीय उप परिवहन आयुक्त, जबलपुर का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

क्र. ई-1-145-2023-5-एक.—श्रीमती शीतला पटले, भाप्रसे (2014), उपसचिव, मुख्यमंत्री तथा परियोजना संचालक, मध्यप्रदेश स्किल डवलपमेंट प्रोजेक्ट, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, संचालक, कौशल विकास, मध्यप्रदेश का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

भोपाल, दिनांक 9 अगस्त 2023

क्र. ई-1-113-2023-5-एक.—चेन्नई पोर्ट अथॉरिटी, चेन्नई के कार्यालयीन आदेश क्रमांक RC1-920-2022-GA, दिनांक 21 जुलाई

2023 के अनुक्रम में श्रीमती आईरिन सिंधिया जे. पी., भाप्रसे (2008) संचालक, बजट, मध्यप्रदेश भोपाल की सेवाएं भारत सरकार, पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत Managing Director, Kamarajar Port Limited के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पाँच वर्ष की अवधि अथवा कामाराजर पोर्ट लिमिटेड बोर्ड द्वारा निर्धारित अवधि, जो भी पहले हो, तक के लिए नियुक्ति हेतु चेन्नई पोर्ट अथॉरिटी, चेन्नई को सौंपी जाती है।

भोपाल, दिनांक 10 अगस्त 2023

क्र. ई-1-148-2023-5-एक.—श्री स्वतंत्र कुमार सिंह, भाप्रसे (2007), सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, सचिव, मध्यप्रदेश शासन, घुमन्तु एवं अर्धघुमन्तु जनजाति विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

भोपाल, दिनांक 11 अगस्त 2023

क्र. ई-1-147-2023-5-एक.—श्री बक्की कार्तिकेयन, भाप्रसे (2012), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से संचालक, बजट, मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पदस्थ किया जाता है।

भोपाल, दिनांक 13 अगस्त 2023

क्र. ई-1-150-2023-5-एक.—श्री अजय श्रीवास्तव, भाप्रसे (2013) अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, कलेक्टर, जिला मऊगंज के पद पर पदस्थ किया जाता है।

(2) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 13 अगस्त, 2023 द्वारा सुश्री सोनिया मीना, भाप्रसे (2013), संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा प्रबंध संचालक, अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, भोपाल तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद् (MAPCET) (अतिरिक्त प्रभार) को कलेक्टर, जिला मऊगंज पदस्थ किया गया था, एतद्वारा, निरस्त किया जाता है।

क्र. ई-1-150-2023-5-एक.—सुश्री सोनिया मीना, भाप्रसे (2013), संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा प्रबंध संचालक, अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, भोपाल तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद्, (MAPCET) (अतिरिक्त प्रभार) को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, कलेक्टर, जिला मऊगंज के पद पर पदस्थ किया जाता है।

भोपाल, दिनांक 16 अगस्त 2023

क्र. ई-1-317-2018-5-एक.—श्री विनोद कुमार शर्मा, भाप्रसे (म.प्र.-2003), कलेक्टर, मुरैना के पद पर दिनांक 19 अक्टूबर 2015 से 25 जून 2017 तक पदस्थ थे। तत्समय उनके द्वारा वर्ष 2014 में निश्चित समयावधि के लिये जिला निर्वाचन कार्यालय मुरैना में अस्थायी रूप से नियुक्त हुये 06 सहायक ग्रेड-3 एवं 05 भृत्यों में से, माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के याचिका क्रमांक डब्ल्यू. पी. 7330/2014 में पारित आदेश दिनांक 5 जुलाई 2016 की मनमाने ढंग से व्याख्या की जाकर कार्यालयीन आदेश क्रमांक 7050 व 7051, दिनांक 12 अगस्त, 2016 द्वारा 10 आवेदकों को नियुक्ति प्रदान किये जाने के कारण श्री विनोद कुमार शर्मा, भाप्रसे (2003) के विरुद्ध सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक डी-2-13-2018-6-एक, दिनांक 6 दिसम्बर 2018 को आरोप पत्र जारी किए गए थे। श्री विनोद कुमार शर्मा, भाप्रसे (म.प्र.-2003), तत्कालीन कलेक्टर, जिला मुरैना द्वारा उक्त आरोप पत्र का अंतरिम उत्तर दिनांक 2 मार्च 2019, 4 अप्रैल 2019 एवं अंतिम उत्तर 20 मई 2019 को सहपत्रों सहित प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण में परीक्षणोपरान्त श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन कलेक्टर, जिला मुरैना के विरुद्ध अखिल भारतीय सेवाएं (अनुशासन तथा अपील) नियम, 1969 के नियम 8(4) के तहत नियमित विभागीय जाँच किए जाने का प्रशासकीय निर्णय लेते हुए आदेश दिनांक 17 अगस्त 2022 द्वारा अखिल भारतीय सेवायें (अनुशासन तथा अपील) नियम, 1969 के नियम 8(2) के अंतर्गत श्री अशोक कुमार सिंह, सेवानिवृत्त भाप्रसे (म.प्र.-2000) को जाँचकर्ता अधिकारी तथा नियम 8(6)(सी) के अंतर्गत अपर कलेक्टर, जिला मुरैना को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया। जाँचकर्ता अधिकारी द्वारा प्रकरण की जाँच कर अपना जाँच प्रतिवेदन दिनांक 6 मार्च 2023 को प्रस्तुत किया गया। जाँचकर्ता अधिकारी द्वारा अपने जाँच निष्कर्ष में लेख किया है कि साक्ष्य विवेचना के आधार पर अपचारी अधिकारी के विरुद्ध अधिरोपित एक मात्र आरोप प्रमाणित होना नहीं पाया जाता है। इस प्रकार अपचारी अधिकारी अखिल भारतीय सेवायें (आचरण), नियम, 1969 के नियम 3(1) नियम 3(2) के उल्लंघन के दोषी नहीं पाये जाते हैं।

(2) उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग कार्मिक के आदेश क्रमांक डी-2-13-2018-6-एक, दिनांक 26 मई 2023 द्वारा श्री विनोद कुमार शर्मा, भाप्रसे (2003) के विरुद्ध प्रचलित विभागीय जाँच प्रकरण इसी प्रक्रम पर समाप्त किए जाने के आदेश जारी किए गए।

(3) आवंटन वर्ष 2003 तथा पूर्व वर्षों के अवशेष भाप्रसे अधिकारियों को अधिसमय वेतनमान में पदोन्नति के लिए उपयुक्तता निर्धारण हेतु दिनांक 7 दिसम्बर 2018 को छानबीन समिति की बैठक में श्री विनोद कुमार शर्मा के विरुद्ध उपरोक्त विभागीय जाँच के कारण समिति की अनुशंसा सीलबंद लिफाफे में रखी गई थी।

श्री विनोद कुमार शर्मा के विरुद्ध प्रचलित विभागीय जांच समाप्ति के आदेश दिनांक 26 मई 2023 के परिप्रेक्ष में सीलबंद लिफाफा खोला गया तथा उन्हें पदोन्नति के लिए उपयुक्त पाया गया।

(4) श्री विनोद कुमार शर्मा, भाप्रसे (2003) अपनी अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर दिनांक 31 मई 2019 को सेवानिवृत्त हुए हैं।

(5) उपरोक्त के आलोक में श्री विनोद कुमार शर्मा, भाप्रसे (2003) को उनसे कनिष्ठ भाप्रसे अधिकारी श्रीमती अलका श्रीवास्तव, भाप्रसे को अधिसमय वेतनमान दिए जाने की तिथि को सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक ई-1-317-2018-5-एक, दिनांक 29 दिसम्बर 2018 को अधिसमय वेतनमान दिए जाने की तिथि दिनांक 1 जनवरी 2019 से अधिसमय वेतनमान रुपये 37400-67000 ग्रेड पे 10,000/- (पुनरीक्षित वेतनमान 1,44,200-2,18,200/- पे मेट्रिक्स-14) में दिनांक 1 जनवरी 2019 से काल्पनिक पदोन्नति (Notional Promotion) प्रदान की जाती है।

(6) अधिसमय वेतनमान में पदोन्नति के फलस्वरूप श्री विनोद कुमार शर्मा, भाप्रसे (2003) का वेतन एवं अन्य स्वत्व काल्पनिक पदोन्नति (Notional Promotion) की तिथि अर्थात् दिनांक 1 जनवरी 2019 से लेकर उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31 मई 2019 तक काल्पनिक रहेगी किन्तु श्री विनोद कुमार शर्मा को अधिसमय वेतनमान में दिनांक 1 जनवरी 2019 से काल्पनिक पदोन्नति का लाभ उनके वेतन निर्धारण एवं पेंशन प्रयोजन के लिए देय होगा।

क्र. ई-5-764-आयएस-लीव-5-एक.—श्री विवेक कुमार पोरवाल, भाप्रसे (2000), सचिव, मुख्यमंत्री तथा सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विमानन तथा जनसंपर्क विभाग के दिनांक 28 अगस्त से 1 सितम्बर 2023 तक, पाँच दिन के एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश (दिनांक 26, 27 अगस्त एवं 2, 3 सितम्बर 2023 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित) पर रहने के फलस्वरूप उनकी अवकाश अवधि में सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विमानन विभाग का प्रभार श्री एम. सेलवेन्द्रन, भाप्रसे (2002), पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक, मुद्रांक, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा आयुक्त-सह-संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मध्यप्रदेश भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को तथा सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनसंपर्क विभाग का प्रभार श्री शिवशेखर शुक्ला, भाप्रसे (1994) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति एवं पर्यटन विभाग तथा आयुक्त-सह-संचालक, स्वराज संस्थान एवं न्यासी सचिव, भारत भवन तथा वि.क.अ.-सह-आयुक्त, पर्यटन एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ सौंपा जाता है।

क्र. ई-5-793-आयएस-लीव-5-एक.—डॉ. संजय गोयल, भाप्रसे (2003), आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन के दिनांक 28 अगस्त से 1 सितम्बर 2023 तक, पाँच दिन के अर्जित अवकाश (दिनांक 26, 27 अगस्त एवं 2, 3 सितम्बर 2023 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित) पर रहने के फलस्वरूप उनकी अवकाश अवधि में आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन का प्रभार श्री राजेश बाथम, भाप्रसे, (2012), अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ सौंपा जाता है।

क्र. ई-5-770-आयएस-लीव-5-एक.—श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव, भाप्रसे (1998), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग एवं राहत आयुक्त एवं पुनर्वास आयुक्त (अतिरिक्त प्रभार) के दिनांक 24 अगस्त से 13 सितम्बर 2023 तक, इक्कीस दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश पर रहने के फलस्वरूप उनकी अवकाश अवधि में प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का प्रभार श्री नीरज मण्डलोई, भाप्रसे, (1993), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग को तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग का प्रभार श्री मनीष रस्तोगी, भाप्रसे (1994) प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश एवं प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक सेवा प्रबंधन विभाग (अतिरिक्त प्रभार) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ सौंपा जाता है।

क्र. ई-5-888-आयएस-लीव-5-एक.—श्री कर्मवीर शर्मा, भाप्रसे (2010) अपर आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा प्रबंध संचालक, ऊर्जा विकास निगम, भोपाल तथा पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग (अतिरिक्त प्रभार) तथा आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) के दिनांक 21 से 29 अगस्त 2023 तक नौ दिन के अर्जित अवकाश (दिनांक 19, 20 एवं 30 अगस्त 2023 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित) पर रहने के फलस्वरूप उनके अवकाश से लौटने की अवधि तक आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल का प्रभार श्री संदीप यादव, भाप्रसे (2000), प्रमुख राजस्व, आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग तथा आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोवस्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर (अतिरिक्त प्रभार) को तथा प्रबंध संचालक ऊर्जा विकास निगम, भोपाल का प्रभार श्री रोहित सिंह, भाप्रसे (2012), प्रबंध संचालक, लघु उद्योग निगम, मध्यप्रदेश तथा संचालक, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, मध्यप्रदेश, भोपाल को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ सौंपा जाता है।

भोपाल, दिनांक 18 अगस्त 2023

क्र. ई-1-126-2023-5-एक.—श्रीमती रश्मि अरूण शमी, भाप्रसे (1994), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, विशेष आयुक्त (समन्वय), मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

(2) उपरोक्तानुसार श्रीमती रश्मि अरूण शमी, द्वारा विशेष आयुक्त (समन्वय), मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री पंकज राग, भाप्रसे (1990), वि.क.अ.-सह-आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली तथा विशेष आयुक्त (समन्वय), मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली (अतिरिक्त प्रभार) केवल विशेष आयुक्त (समन्वय) मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली के प्रभार से मुक्त होंगे।

क्र. ई-5-770-आयएस-लीव-5-एक.—समसंख्यक आदेश दिनांक 16 अगस्त, 2023 द्वारा श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव, भाप्रसे (1998), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग एवं राहत आयुक्त एवं पुनर्वास आयुक्त (अतिरिक्त प्रभार) का दिनांक 24 अगस्त से 13 सितम्बर 2023 तक, इक्कीस दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है, के क्रम में उनका दिनांक 21 से 23 अगस्त 2023 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) उपरोक्त अवकाश अवधि में पूर्व अनुसार प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का प्रभार श्री नीरज मण्डलोई, भाप्रसे, (1993), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग को तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग का प्रभार श्री मनीष रस्तोगी, भाप्रसे (1994), प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश एवं प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक सेवा प्रबंधन विभाग (अतिरिक्त प्रभार) के पास रहेगा।

क्र. ई-5-690-आयएस-लीव-5-एक.—श्री अनिरुद्ध मुकर्जी, (भाप्रसे-1993) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग तथा महानिदेशक, आरसीव्हीपी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) के दिनांक 21 से 25 अगस्त 2023 तक पाँच दिन के अर्जित अवकाश (दिनांक 19, 20 एवं 26, 27 अगस्त 2023 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित) पर रहने के फलस्वरूप, उनकी अवकाश अवधि में प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग का प्रभार श्री सुखवीर सिंह, (भाप्रसे-1997), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग एवं प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग (अतिरिक्त प्रभार) को तथा महानिदेशक, आरसीव्हीपी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल का प्रभार श्रीमती दीप्ति गौड़ मुकर्जी, (भाप्रसे-1993), प्रमुख सचिव, (कार्मिक) सामान्य प्रशासन विभाग को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ सौंपा जाता है।

क्र. ई-1-153-2023-5-एक.—श्री सतेन्द्र सिंह, भाप्रसे (2009), अपर आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पदस्थ करते हुए, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम, भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

भोपाल, दिनांक 21 अगस्त 2023

क्र. ई-1-39-2015-5-एक.—आवंटन वर्ष 2011 के भाप्रसे अधिकारियों को वरिष्ठ वेतनमान देने हेतु दिनांक 24 अप्रैल, 2015 को संपन्न छानबीन समिति की बैठक में श्री हरजिंदर सिंह, भाप्रसे

(2011), का नाम अन्य अधिकारियों के साथ समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।

(2) श्री हरजिंदर सिंह के विरुद्ध दिनांक 24 अप्रैल, 2015 की स्थिति में थाना हबीबगंज, भोपाल में अपराध क्रमांक 668/2012 अंतर्गत धारा 3, 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 एवं भारतीय दण्ड विधान पंजीबद्ध होकर, विवेचना पश्चात् श्री सिंह व अन्य के विरुद्ध दिनांक 25 जून 2013 को माननीय सी. जे. एम. न्यायालय, भोपाल में चालान प्रस्तुत होकर प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन होने से तत्समय उनकी संनिष्ठा प्रमाणित नहीं की गई।

(3) श्री हरजिंदर सिंह, भाप्रसे (2011) को वरिष्ठ वेतनमान दिए जाने के संबंध में आवंटन वर्ष 2011 के अधिकारियों के साथ प्रथम बार दिनांक 24 अप्रैल 2015 को विचारण में लेने के तत्पश्चात् आवंटन वर्ष 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 एवं 2018 के भाप्रसे अधिकारियों के लिए वरिष्ठ वेतनमान स्वीकृत किए जाते समय विचार किया जाता रहा किन्तु श्री हरजिंदर सिंह, भाप्रसे (2011) के विरुद्ध उक्त प्रकरण विचाराधीन होने के कारण उन्हें वरिष्ठ वेतनमान दिए जाने के संबंध में समिति की अनुशंसाएं सीलबंद लिफाफे में रखी जाती रही।

(4) माननीय न्यायालय, न्यायाधिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने उपरोक्त आपराधिक प्रकरण क्रमांक 668/2012 में पारित आदेश दिनांक 10 फरवरी 2022 द्वारा श्री हरजिंदर सिंह, को दोषमुक्त किया है। उपरोक्त स्थिति में उनके विरुद्ध किसी प्रकार की कोई विभागीय जाँच/न्यायालयीन प्रकरण लंबित नहीं होने के अनुक्रम में श्री हरजिंदर सिंह, को वरिष्ठ वेतनमान दिए जाने के संबंध में समिति की अनुशंसा का बंद लिफाफा खोला गया। समिति की बैठक दिनांक 24 अप्रैल, 2015 में श्री हरजिंदर सिंह, भाप्रसे (2011) को समिति की अनुशंसा अनुसार वरिष्ठ वेतनमान में पदोन्नति किए जाने हेतु उपयुक्त पाया गया।

(5) इस विभाग के आदेश दिनांक 17 अक्टूबर 2022 से श्री हरजिंदर सिंह, भाप्रसे (2011) को उनसे कनिष्ठ को स्वीकृत वरिष्ठ वेतनमान दिनांक 1 जनवरी 2015 से काल्पनिक रूप से स्वीकृत किया गया है।

(6) माननीय न्यायालय, न्यायाधिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने उपरोक्त आपराधिक प्रकरण क्रमांक 668/2012 में पारित आदेश दिनांक 10 फरवरी 2022 द्वारा श्री हरजिंदर सिंह, को दोषमुक्त किया है। उपरोक्त स्थिति में उनके विरुद्ध किसी प्रकार की कोई विभागीय जाँच/न्यायालयीन प्रकरण लंबित नहीं होने के अनुक्रम में श्री हरजिंदर सिंह को 9 वर्ष की सेवा पूर्ण हो जाने के फलस्वरूप इस विभाग के आदेश दिनांक 17 अक्टूबर 2022 से श्री हरजिंदर सिंह, भाप्रसे (2011) को उनसे कनिष्ठ को स्वीकृत कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड दिनांक 1 जनवरी 2020 से काल्पनिक रूप से स्वीकृत किया गया है।

(7) श्री हरजिंदर सिंह को उनके कनिष्ठ भाप्रसे अधिकारी को दिए गए वरिष्ठ वेतनमान एवं कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड की तिथि से वास्तविक लाभ ही प्राप्त होने की पात्रता के संबंध में इस विभाग के पत्र दिनांक 20 अप्रैल 2022 द्वारा विजिलेंस की स्थिति उल्लेखित करते हुए भारत सरकार कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को पुष्टि किए जाने का अनुरोध किया गया।

(8) भारत सरकार कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा अपने पत्र दिनांक 18 अप्रैल 2023 द्वारा निम्नानुसार अवगत कराया है.—

“seeking clarification regarding payment of arrears to Shri Harjinder Singh, IAS (MP: 2011) promoted to the Senior Time Scale and the JAG from an ante-date after exoneration by the Court.

In this regard, it is stated that the matter has been examined in this department and accordingly, State Government is advised to take a decision as appropriate in light of the provisions contained in Para 18 of IAS Promotion Guidelines.”

(9) भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों की पदोन्नति के संबंध में भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिशा निर्देश दिनांक 28-03-2000 के पैरा 18 के 18.1 एवं 18.2 में यह निर्देशित किया गया है कि :—

18. SEALED COVER CASES.—ACTION AFTER COMPLETION OF DISCIPLINARY/CRIMINAL PROSECUTION

18.1 If the proceedings of the Committee for promotion contain findings in a sealed cover, on conclusion of the disciplinary case/criminal prosecution, the sealed cover or covers shall be opened. In case the officer is completely exonerated, the due date of his promotion will be determined with reference to the findings of the Screening Committee kept in sealed cover/covers and with reference to the date of promotion of his next junior on the basis of such findings. The officer shall be promoted even if it requires to revert the junior-most officiating person. He may be promoted notionally with reference to the date of promotion of his such junior. However, whether the officer concerned will be entitled to any arrears of pay for the period of notional promotion preceding the date of actual promotion and if so to what extent, will be decided by taking into consideration all the facts and circumstances of the disciplinary proceedings/criminal prosecution. Where arrears of salary or part of it, are denied reasons, will be recorded for doing so. It is not possible to anticipate and enumerate exhaustively all the circumstances under which such denial of arrears of salary or part of it may be become necessary. However, there may be cases where the proceedings, whether disciplinary or criminal, are, for example delayed at the instance of the employee or the clearance in the disciplinary proceedings or acquittal in the criminal proceedings is with benefit of doubt or on account of non-availability of evidence due to the acts attributable to the employee etc. These are only some of the circumstances where such denial can be justified.

18.2 If a penalty is imposed on the officer as a result of the disciplinary proceedings or if he is found guilty in the criminal prosecution against him, the findings of the sealed cover/covers shall not be acted upon. His case for promotion may be considered by the next Screening Committee in the normal course, having regard to the penalty imposed on him.

भारत सरकार के दिशा-निर्देश दिनांक 28-03-2000 के 11.1 में भी यह निर्देशित किया गया है कि निम्नांकित स्थिति में भाप्रसे अधिकारी की संनिष्ठा प्रमाणित नहीं की जा सकेगी :—

- (a) Officers under suspension;
- (b) Officers in respect of whom a chargesheet has been issued and disciplinary proceedings are pending.
- (c) Officers in respect of whom prosecution for criminal charge is pending.

(10) भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के पदोन्नति एवं वेतनमान स्वीकृत किये जाने के संबंध में अनुशासनात्मक/अपराधिक प्रकरणों में कार्यवाही के संदर्भ में सीलबंद लिफाफों की प्रक्रिया में भारत सरकार कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के पत्र दिनांक 6 नवंबर 2007 में निम्न प्रावधान है :—

“it is clarified, in terms of Supreme Court’s judgement delivered in the case of Sh. K. V. Jankiraman, that in the cases wherein an officer of All India Services facing disciplinary/criminal proceedings and on the conclusion of these proceedings he is awarded a penalty or convicted, as the case may be, he cannot be promoted retrospectively. His case for promotion may be considered by the next Screening Committee in the normal course for prospective promotion, having regard to the penalty imposed on him. Therefore there would no question for payment of arrears etc. to him.

It is further clarified that in cases wherein the officer has been completely exonerated in the disciplinary proceedings or acquitted in the criminal proceedings as the case may be, his due date of promotion will be determined with reference to the findings of the Screening Committee kept in sealed cover/covers and with reference to the date promotion of his next junior even if it requires to revert the junior-most officiating person. He may be promoted notionally with reference to the date of promotion of this such junior. However, whether the officer concerned will be entitled to any arrears of pay for the period of notional promotion proceedings the date of actual promotion and if so to what extent, will be decided by taking into consideration all the facts and circumstances

of the disciplinary proceedings/criminal prosecution. Where arrears of salary or part of it, are denied reasons, will be recorded for doing so. It is not possible to anticipate and enumerate exhaustively all the circumstances under which such denial of arrears of salary or part of it may be become necessary. However, there may be cases where the proceedings, whether disciplinary or criminal, are, for example delayed at the instance of the employee or the clearance in the disciplinary proceedings or acquittal in the criminal proceedings is with benefit of doubt or on account of non-availability of evidence due to the acts attributable to the employee etc. These are only some of the circumstances where such denial can be justified'

(11) श्री हरजिन्दर सिंह, भाप्रसे (2011) के विरुद्ध माननीय न्यायालय न्यायाधिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भोपाल द्वारा विवेचना उपरांत दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 एवं धारा 4 के संबंध में आदेश दिनांक 10 फरवरी 2022 में यह लेख है कि अभियोजन अपना मामला अभियुक्तगण के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह के प्रमाणित करने में सफल नहीं रहा है एवं अभियुक्तगण को दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 एवं धारा 4 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

(12) माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भोपाल के निर्णय दिनांक 10 फरवरी 2022 द्वारा श्री हरजिन्दर सिंह को दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 एवं धारा 4 के आरोप से दोषमुक्त होने से भारत सरकार के दिशा-निर्देश दिनांक 28 मार्च 2000 के अनुसार उनके विरुद्ध विभागीय जांच, निलम्बन एवं अभियोजन की प्रस्थिति नहीं रहती है। भारत सरकार के निर्देश दिनांक 28 मार्च 2000 की कंडिका 18.1 के आलोक में यह स्पष्ट है कि प्रकरण में उन्हें पूर्ण तरह से Exonerate किया है एवं अभियोजन अपना मामला अभियुक्तगण के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह के प्रमाणित करने में सफल नहीं रहने के लिए श्री हरजिन्दर सिंह पर कोई दायित्व माननीय न्यायालय के आदेश में उल्लेखित नहीं है। माननीय न्यायाधिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 10 फरवरी 2022 के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रकरण में आरोपीगण द्वारा किसी प्रकार का विलम्ब कारित नहीं किया गया है, जारी न्यायिक आदेश में अपराध सिद्ध होने तथा संदेह का लाभ दिये जाने की स्थिति परिलक्षित नहीं है।

(13) उपरोक्त के आलोक में इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 17 अक्टूबर 2022 द्वारा श्री हरजिन्दर सिंह, भाप्रसे (2011) को उनके कनिष्ठ की तिथि दिनांक 1 जनवरी 2015 से काल्पनिक रूप से दिये गए वरिष्ठ वेतनमान रुपये 15600-39100+ग्रेड पे 6600 एवं दिनांक 1 जनवरी 2020 से कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड रुपये 78800-2,09,200 (पे मेट्रिक्स 12) जो काल्पनिक रूप से स्वीकृत किया गया है, में आंशिक संशोधन करते हुए राज्य शासन एतद्वारा श्री हरजिन्दर सिंह, भाप्रसे (2011) को दिनांक 1 जनवरी 2015 से वरिष्ठ वेतनमान एवं दिनांक 1 जनवरी 2020 से कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड

स्वीकृत करता है। श्री हरजिन्दर सिंह, भाप्रसे (2011) को 1 जनवरी 2015 से वरिष्ठ वेतनमान रुपये 15600-39100+ग्रेड पे 6600 एवं दिनांक 1 जनवरी 2020 से कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड रुपये 78800-2,09,200 (पे मेट्रिक्स 12) के ऐरियर्स की राशि देय होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इकबाल सिंह बैस, मुख्य सचिव.

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 अगस्त 2023

क्र.-एफ 1(ए)154-1993-ब-2-दो.—राज्य शासन, एतद्वारा, श्री डी. श्रीनिवास राव, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, प्रशासन पु. मु., भोपाल को अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत खण्डवर्ष 2022-25 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 7 से 9 अगस्त 2023 तक, तीन दिवस आकस्मिक अवकाश एवं 5-6 अगस्त के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में परिवार सहित गृह नगर यात्रा अंतर्गत हैदराबाद की परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ जाने की अनुमति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान करता है:—

1. श्री डी. श्रीनिवास राव, — स्वयं
2. श्रीमती डी. सुचरिता — पत्नी

(2) अवकाश से लौटने पर श्री डी. श्रीनिवास राव, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, प्रशासन पु. मु., भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री डी. श्रीनिवास राव, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. श्रीनिवास राव, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 29 अगस्त 2023

क्र. एफ 1 (ए) 10-2003-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री प्रमोद वर्मा, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, सागर जोन, सागर को दिनांक 1 से 8 सितम्बर 2023 तक, आठ दिवस अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) श्री प्रमोद वर्मा, भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य श्री ललित शाक्यवार, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, सतर्कता, छतरपुर रेन्ज, छतरपुर द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री प्रमोद वर्मा, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, सागर जोन, सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री प्रमोद वर्मा, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री प्रमोद वर्मा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रमोद वर्मा, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्नु भलावी, अवर सचिव

विधि और विधायी कार्य विभाग

प्रथम तल, विन्ध्याचल भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 अगस्त 2023

फा. क्र. 3592-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ भोपाल, मध्यप्रदेश, के दाण्डिक प्रकरणों, अपील, पुनरीक्षण एवं अन्य विविध दाण्डिक प्रकरणों में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, भोपाल की ओर से पैरवी हेतु, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 (8) के अधीन नियुक्त विशेष लोक अभियोजक श्री मधुर शुक्ला, अधिवक्ता, जबलपुर के कार्यकाल में दिनांक 9 अगस्त 2023 से एक वर्ष की अभिवृद्धि करता है। उन्हें प्रतिमाह नियत मासिक पारिश्रमिक की राशि 55000/- रुपये तथा संबंधित प्रकरण का स्टेशनरी आदि का अनुषांगिक व्यय देय होगा, पारिश्रमिक का भुगतान आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, भोपाल, मध्यप्रदेश द्वारा किया जावेगा।

फा. क्र. 3606-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, माननीय उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, ग्वालियर में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, भोपाल, मध्यप्रदेश के रिट एवं सिविल प्रकरणों की पैरवी करने हेतु नियुक्त श्री यश शर्मा, अधिवक्ता, ग्वालियर को मासिक पारिश्रमिक राशि रुपये 55000/- (रुपये पचपन हजार मात्र) प्रतिमाह एवं अनुषांगिक व्यय पर उनके कार्यकाल समाप्त होने के दिनांक 30 नवम्बर 2023 से पुनः एक वर्ष की कालावधि के लिये विशेष शासकीय अधिवक्ता नियुक्त करता है। श्री यश शर्मा के प्रत्येक माह के बिलों का भुगतान आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, भोपाल, मध्यप्रदेश द्वारा किया जावेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
धर्मपाल सिंह शिवाच, सचिव।

नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 अगस्त 2023

क्र. एफ-2-11-2010-साठ.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम, लिमिटेड के मेमोरेण्डम ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के उपवन 72 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री संजय दुबे, प्रमुख सचिव, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग के स्थान पर श्री कर्मवीर शर्मा, अपर सचिव, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग को आगामी आदेश तक, मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के संचालक मण्डल में संचालक नियुक्त करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शर्मिला ठाकुर, अवर सचिव।

तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 अगस्त 2023

क्र. एफ-5-1-2017-बयालीस-2.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री नारायण सिंह कुशवाह, निवासी विदिशा को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक के लिये "मध्यप्रदेश कुश कल्याण बोर्ड" का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है।

क्र. एफ-5-1-2017-बयालीस-2.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री रविकरण साहू पिता श्री अभिमन्यु साहू, निवासी सिविल लाईन, जबलपुर को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, के लिये "मध्यप्रदेश तेल घानी बोर्ड" का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. आर. धाकड़, अपर सचिव।

सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 अगस्त 2023

क्र. 2400-1065910-2023-छब्बीस-2.—मध्यप्रदेश निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता अधिनियम, 1970 (क्रमांक 12 सन् 1970) की धारा 5-ख के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, केन्द्र/राज्य शासन की संस्थाओं द्वारा 'प्राईस सपोर्ट स्कीम' के अंतर्गत अधिसूचित कृषि उपज का प्रदेश के कृषकों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जन करने पर मण्डी शुल्क की छूट लागू होते ही, उसके साथ ही निराश्रित शुल्क के भुगतान पर भी छूट प्रदान की जाती है।

प्राईस सपोर्ट स्कीम अंतर्गत वर्ष 2022 (विपणन मौसम 2022-23) में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जित, ग्रीष्मकालीन मूँग और ग्रीष्मकालीन उड़द पर भी निराश्रित शुल्क में छूट लागू होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शीलेन्द्र सिंह, उपसचिव।

भोपाल, दिनांक 14 अगस्त 2023

क्र. 2400-1065910-2023-छब्बीस-2.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 14 अगस्त, 2023 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार के एतद्वारा, प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शीलेन्द्र सिंह, उपसचिव।

Bhopal, the 14th August 2023

No. 2400-1065910-2023-XXVI-2.—In exercise of the powers conferred under Section 5-B of Madhya Pradesh Nirashrit Avam Nirdhan Vyaktiyo ki Sahayta Adhiniyam, 1970 (No. 12 of 1970), the State Government hereby declares that notified agriculture produce under "Price Support Scheme" by Central and State Government institutions, as soon as the market fee exemption is applicable for procuring the production from the farmers of the State at the minimum support price, along with it exemption shall also be given on payment of fee.

Under the Price Support scheme of 2022 (marketing season 2022-2023), Summer Moong and Summer Urad acquired at the minimum support price, will also be exempted from the duty.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,

SHEELENDRA SINGH, Dy. Secy.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल

राजभवन, भोपाल, दिनांक 1 सितम्बर 2023

क्र. एफ-1-3-23-रा.स.-यू.ए.1-885.—मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कुलाधिपति, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर के द्वारा उक्त विश्वविद्यालय के नियमित कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु कम से कम तीन व्यक्तियों के नामों का पैनल अनुशंसित करने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों की समिति नियुक्त की गई है :-

1. प्रो. सुरेश कुमार जैन, कुलपति, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल (म. प्र.).	समिति के अध्यक्ष	कुलाधिपति जी द्वारा नामांकित
2. डॉ. एच. एल. अनिजवाल, क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, उज्जैन संभाग, उज्जैन (म. प्र.).	समिति के सदस्य	राज्य सरकार द्वारा नामांकित
3. प्रो. शंभू नाथ सिंह, कुलपति, तेजपुर विश्वविद्यालय, नापाम तेजपुर (आसाम).	समिति के सदस्य	अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नामांकित.

(2) कुलाधिपति जी के द्वारा प्रो. सुरेश कुमार जैन, कुलपति को उक्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

(3) समिति इस अधिसूचना के प्रसारित होने की तिथि से छः सप्ताह की अवधि में पैनल प्रस्तुत करेगी।

(4) समिति पैनल तैयार करने में कुलपति की नियुक्ति की प्रक्रिया के संबंध में इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 272-2022-रास-यू.ए.1, दिनांक 21 फरवरी 2022 के द्वारा जारी मार्गदर्शिका (छायाप्रति संलग्न) में वर्णित प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही संपन्न करेगी।

कुलाधिपति, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर के आदेशानुसार,
स्वरोच्चिष सोमवंशी, राज्यपाल के उपसचिव.

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी, बल्देवगढ़, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश

टीकमगढ़, दिनांक 23 जून 2023

क्र. 849-रीडर-एसडीएम-2023.—प्रमुख राजस्व आयुक्त मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रमांक-पी. आर. सी.-आई. टी.-04-0013-2021-आई. टी. सेल-पी. आर. सी.-2717 दिनांक 28 अप्रैल 2023 के द्वारा राज्य शासन को भू-अर्जन हेतु प्रस्तुत की जाने वाली समस्त परियोजना के आवेदन पत्रों को RCMS पोर्टल पर LAMS (Land Acquisition Management System) में ऑनलाईन दर्ज किये जाने एवं निर्धारित समय सीमा अनुसार चरणबद्ध रूप से निराकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, टीकमगढ़ के पत्र क्रमांक-821-भू-अर्जन-2023, दिनांक 26 मई 2023 के द्वारा सुजानपुरा खास, राजनगर, देवीनगर, तहसील, बल्देवगढ़ के भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही समाप्त कर नवीन दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाना प्रतिवेदित किया गया है।

अतः ग्राम सुजानपुरा खास, राजनगर, देवीनगर, तहसील, बल्देवगढ़ के भूमि अधिग्रहण की प्रचलित कार्यवाही समाप्त की जाती है।

उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

सौरभ मिश्रा, अनुविभागीय अधिकारी.

राज्य शासन के आदेश

तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 अगस्त 2023

क्र. एफ-5-1-2017-42-2.—राज्य शासन, एतद्वारा, श्री नरेश सिंह कुशवाह पिता श्री करण सिंह कुशवाह, निवासी लशकर, ग्वालियर को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक के लिए “मध्यप्रदेश कुश समाज कल्याण बोर्ड” का सदस्य नियुक्त किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. आर. धाकड़, अपर सचिव.

राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं विहित प्राधिकारी, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 18 अगस्त 2023

क्र. 328-भू-अर्जन-2023.—कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन के पत्र क्रमांक 1902-कार्य-भू-अर्जन-सतसोई-2023, खरगोन, दिनांक 30 मई 2023 से "सतसोई तालाब योजना के शीर्ष कार्य एवं डूब प्रभावित मार्ग निर्माण हेतु" अधिग्रहित अथवा उपयोग की जाने वाली निजी भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) के अध्याय 2(अ) की धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात् प्रस्तावित योजना लोकहित संबंधी होने के कारण मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ 16-15-(1)-2014-सात-था, 2ए, दिनांक 29 सितम्बर, 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, शिवराज सिंह वर्मा, कलेक्टर, जिला खरगोन एवं विहित प्राधिकारी, मध्यप्रदेश, शासन, राजस्व विभाग, विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय, भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9/2014 के बिन्दु 10-ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित योजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय 2(अ) की धारा 4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण एवं अन्य उपबंधों से छूट प्रदान करता हूँ :—

भूमि का वर्णन				प्रस्तावित अर्जनीय	सार्वजनिक प्रयोजन
क्र.	तहसील	ग्राम का नाम	प. ह. नं.	भूमि का रकबा (हे. में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	भीकनगांव	पछाया	12	0-226	"सतसोई तालाब योजना के शीर्ष कार्य एवं डूब प्रभावित मार्ग निर्माण हेतु."

नोट.—

- (2) उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है।
- (3) उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, भीकनगांव के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 329-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची (1) के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सम्मुख दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार अनुसूची (2) में दर्शित भूमि के ब्यौरों से संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची (1) के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ।

प्रस्तावित "सतसोई तालाब योजना के शीर्ष कार्य एवं डूब प्रभावित मार्ग निर्माण हेतु" की प्रकृति लोकहित के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की होने से अधिनियम के अध्याय (2) (अ) की धारा 4 सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन एवं अन्य उपबन्धों से छूट प्रदान की गयी है जिसका प्रकाशन पृथक से किया गया है। इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है :—

अनुसूची (1)

भूमि का वर्णन				धारा 12 के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे. में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	भीकनगांव	पछाया	0-226	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खरगोन.	"सतसोई तालाब योजना के शीर्ष कार्य एवं डूब प्रभावित मार्ग निर्माण हेतु."

अनुसूची (2)

“सतसोई तालाब योजना के शीर्ष कार्य एवं डूब प्रभावित मार्ग निर्माण हेतु “ग्राम-पछाया की प्रभावित निजी भूमि का विवरण :-

सर्वे नंबर 2/4/2/1, 215 197/2	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे. में) 0-226 पूर्व में अर्जित भूमि पर स्थित कुंआ पक्कता एक
-------------------------------------	---

नोट.—

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, भीकनगाँव, जिला खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 330-भू-अर्जन-2023.—कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन के पत्र क्रमांक 1834-कार्य-भू-अर्जन-सतसोई-2023, खरगोन, दिनांक 24 मई 2023 से “सतसोई तालाब योजना के शीर्ष कार्य एवं डूब प्रभावित मार्ग निर्माण हेतु” अधिग्रहित अथवा उपयोग की जाने वाली निजी भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) के अध्याय 2(अ) की धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात् प्रस्तावित योजना लोकहित संबंधी होने के कारण मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ 16-15-(1)-2014-सात-था, 2ए, दिनांक 29 सितम्बर, 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, शिवराज सिंह वर्मा, कलेक्टर, जिला खरगोन एवं विहित प्राधिकारी, मध्यप्रदेश, शासन, राजस्व विभाग, विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय, भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9/2014 के बिन्दु 10-ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित योजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय 2(अ) की धारा 4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण एवं अन्य उपबंधों से छूट प्रदान करता हूँ :-

क्र.	भूमि का वर्णन			प्रस्तावित अर्जनीय भूमि का रकबा (हे. में)	सार्वजनिक प्रयोजन
	तहसील	ग्राम का नाम	प. ह. नं.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	भीकनगाँव	बोरगाँव	12	0-765	“सतसोई तालाब योजना के में शीर्ष कार्य निर्माण डूब प्रभावित मार्ग हेतु”.

नोट.—

(2) उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है।

(3) उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, भीकनगाँव के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 331-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची (1) के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सम्मुख दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार अनुसूची (2) में दर्शित भूमि के व्यौरों से संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची (1) के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ।

प्रस्तावित "सतसोई तालाब योजना के शीर्ष कार्य निर्माण में डूब प्रभावित मार्ग हेतु" को प्रकृति लोकहित के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की होने से अधिनियम के अध्याय (2) (अ) की धारा 4 सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन एवं अन्य उपबन्धों से छूट प्रदान की गयी है जिसका प्रकाशन पृथक से किया गया है। इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है :-

अनुसूची (1)

भूमि का वर्णन		अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे. में)		धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	भीकनगांव	बोरगांव	0-765	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खरगोन.	"सतसोई तालाब योजना के शीर्ष कार्य निर्माण में डूब प्रभावित मार्ग हेतु.

अनुसूची (2)

"सतसोई तालाब योजना के शीर्ष कार्य निर्माण में डूब प्रभावित मार्ग हेतु" ग्राम-बोरगांव की प्रभावित निजी भूमि का विवरण :-

सर्वे नंबर (1)	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे. में) (2)
386/1/2, 387/1, 388, 389	0-765

नोट.—

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, भीकनगाँव, जिला खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिवराज सिंह वर्मा, कलेक्टर एवं विहित प्राधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 20 जून 2023

भू-अर्जन-प्र.क.अ. 82-22-23 पत्र क्र. 404-भू-अर्जन-23.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) के उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन के द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सेमरिया	खम्हरिया नेवाजी	6.520	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पक्का बाँध संभाग क्रमांक 3, देवलौद, जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

2. भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, (भू-अर्जन शाखा), रीवा के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र.क.अ. 82-22-23 पत्र क्र. 406-भू-अर्जन-23.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) के उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन के द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सेमरिया	गेरुआर	3.200	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पक्का बाँध संभाग क्रमांक 3, देवलौद, जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

2. भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, (भू-अर्जन शाखा), रीवा के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रतिभा पाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 31 अगस्त 2023

प्र. क्र. 0044-अ-82-2023-24.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः "भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013)" की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

भूमि का वर्णन				अनुसूची	धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12	के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
छतरपुर	बक्सवाहा	जरा	36.000	अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बिजावर.	जरा लघु सिंचाई तालाब योजना (नहर रहित).	

(2) भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बिजावर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संदीप जी. आर., कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीधी, दिनांक 17 अगस्त 2023

क्र. 739-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (3) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बन्ध है तथा यह कार्य ललितपुर-सीधी-सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है. यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इससे क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन नहीं होगा. अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन :—

- (क) जिला—सीधी
(ख) तहसील—बहरी
(ग) ग्राम—कुबरी
(घ) पटवारी हल्का का नाम व नंबर—कुबरी
(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 0.0320 हेक्टेयर.

क्र.	खसरा नम्बर	अर्जन हेतु रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	250/1	0.0230	उपमुख्य अभियंता (निर्माण)	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.
2	314/1/3	0.0090	पश्चिम मध्य रेलवे रीवा.	
निजी भूमि का योग . .		0.0320		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी, सिंहावल के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
साकेत मालवीय, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश

राजगढ़, दिनांक 16 अगस्त 2023

क्रमांक 7616/भू-अर्जन/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक 02/अ-82/2023-24 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील ब्यावरा जिला राजगढ़ हेतु ग्राम परसूलिया की प्रभावित वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूंकि मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना का निर्माण पूर्ण हो चुका है एवं इस हेतु अधिकांश भूमि का अर्जन किया जा चुका है और इस कारण धारा-11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

-: अनुसूची (1) :-

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना हेतु प्रभावित भूमि :- ग्राम परसूलिया

स.क्र.	विवरण	अर्जन हेतु रकबा (हे.में)
(1)	(2)	(3)
1	परसूलिया	0.756
कुलयोग :-		0.756

-: अनुसूची (2) :-

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना हेतु प्रभावित भूमि :- ग्राम परसूलिया

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा (हे.में)	अंकित रकबा (हे.में)
1	2	3	4	5
1	रामप्रसाद पिता सालगराम जाति दांगी निवासी ग्राम परसूलिया भूमि स्वामी	1/2/4	1.265	0.180
योग :-		1	1.265	0.180
2	लाल्या पिता छीता जाति चमार निवासी ग्राम परसूलिया भूमि स्वामी	1/4/1	0.266	0.130
योग :-		1	0.266	0.130
3	आत्माराम पिता लाल्या जाति चमार निवासी ग्राम परसूलिया भूमि स्वामी	1/8	0.500	0.066
योग :-		1	0.500	0.066
4	भंवरलाल, रमेश, जगदीश पिता नाथू जाति चमार निवासी ग्राम परसूलिया भूमि स्वामी	1/6	0.784	0.205
योग :-		1	0.784	0.205
5	प्रभूलाल पिता देवीराम जाति चमार निवासी ग्राम परसूलिया भूमि स्वामी	1/11/1	0.350	0.075
योग :-		1	0.350	0.075
6	श्यामाबाई पति मिश्रीलाल जाति बलाई निवासी ग्राम परसूलिया भूमि स्वामी	1/12/1	0.590	0.040
योग :-		1	0.590	0.040
7	ललित पिता रामचंदर जाति बलाई निवासी ग्राम परसूलिया भूमि स्वामी	1/13	0.650	0.060
योग :-		1	0.650	0.060
महायोग :-		7	4.405	0.756

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) ब्यावरा जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र.क्र.-01-अ-82-2022-23

(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कं.30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में सुठालिया सिंचाई परियोजना तहसील सुठालिया जिला राजगढ़ के **ग्राम-लसुडलिया मीना** के लिए डूब में प्रभावित मकान हेतु आवश्यक वर्णित भूमि/आबादी जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं.30 सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि आबादी की भूमि सर्वे नम्बर 236/11/2 पर स्थित परिसम्पत्ति निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

—: अनुसूची :-

तहसील :- सुठालिया

जिला :- राजगढ़

सुठालिया वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र प्रभावित मकान :- ग्राम-लसुडलिया मीना

स.क.	आबादी के सर्वे नम्बर	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	मकान नम्बर	अर्जनीय मकान का माप क्षेत्रफल वर्ग मीटर में
1	2	3	4	5
1	236/11/2	देवीसिंह पिता जगन्नाथ जी जाति केवट (भोई)	1	77.14
2	236/11/2	दिनेश पिता देवीसिंह जी जाति केवट (भोई)	2	126.19
3	236/11/2	गोपालसिंह पिता देवीसिंह जी जाति केवट (भोई)	3	78.66
योग :-				281.99
			या.(हे.मे)	0.028

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) ब्यावरा, जिला- राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र.क्र.-02-अ-82-2022-23

(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कं.30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में सुठालिया सिंचाई परियोजना तहसील सुठालिया जिला राजगढ़ के **ग्राम-कानरखेडी** के लिए डूब में प्रभावित मकान हेतु आवश्यक वर्णित भूमि/आबादी जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं.30 सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि आबादी की भूमि सर्वे नम्बर 94, 208, 220, 212/1, 72/1, 80/1, 81/1/1, 81/2/1, एवं 81/2/3 पर स्थित परिसम्पत्ति निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

-: अनुसूची :-

तहसील :- सुठालिया

जिला :- राजगढ़

सुठालिया वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र प्रभावित मकान :- ग्राम-कानरखेड़ी

स.क्र.	आबादी के सर्वे नम्बर	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	मकान नम्बर	अर्जनीय मकान का माप क्षेत्रफल वर्ग मीटर में
1	2	3	4	5
1	212/1	मुकेश पिता जमनालाल जाति हरिजन	1	84.73
2	212/1	जमनालाल पिता मांगीलाल जाति हरिजन	2	48.45
3	212/1	रामबाबू पिता जमनालाल जाति हरिजन	3	30.81
4	212/1	सुमेर पिता गोपीलाल जाति हरिजन	4	52.64
5	212/1	गोपीलाल पिता मांगीलाल जाति हरिजन	5	46.78
6	208	मुकेश पिता गंगाराम जाति देशवाली	6	164.14
7	208	सुरेश पिता गंगाराम जाति देशवाली	7	167.73
8	208	बनवारी पिता गंगाराम जाति देशवाली	8	115.97
9	208	हरिप्रसाद पिता नारान जाति देशवाली	9	184.74
10	212/1	चन्द्रसिंह पिता गंगाराम जाति गुर्जर	10	168.69
11	212/1	दीपसिंह पित गंगाराम जाति गुर्जर	11	122.51
12	212/1	इमरतसिंह पिता नानूराम जाति गुर्जर	12	233.66
13	220	(अ) मंदिर श्री हनुमान जी	13(A)	570.00
14	220	(ब) शासकीय भवन	13(B)	55.70
15	94	कचनसिंह पिता भावसिंह	14	31.86
16	81/2/3	मथुरा गिर पिता इमरत सिंह जाति गोसाई	15	80.77
17	81/1/1	छोटेगिर पिता राजगिर जाति गोस्वामी	16	202.68
18	80/1	बसंती गिर पिता कल्लू गिर जाति गोस्वामी	17	66.40
19	81/2/1	अयोध्याबाई पत्नि चंचल गिर गोस्वामी	18	138.72
20	72/1	डूंगा गिर पिता नन्नू गिर पिता गोस्वामी	19	98.23
21	72/1	लक्ष्मणसिंह पिता नन्नू गिर जाति गोस्वामी	20	57.71
22	72/1	लक्ष्मण गिर पिता फूल गिर जाति गोस्वामी	21	237.36
योग :-				2960.28
			घा.(हे.में)	0.296

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) ब्यावरा, जिला - राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

राजगढ़, दिनांक 22 अगस्त 2023

-: अनुसूची - 1 :-

अनुपूरक प्रकरण क्रमांक 0020/अ-82/2023-24 चूंकि मुख्य परियोजना प्रबंधक पश्चिम मध्य रेल कोटा No.:- Dy.CE(C)/KTT/ADDITIONAL-LAND/KHILCHIPUR DATED 26-07-2023 रेल्वे विभाग को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न सूची में भूमि दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यक पड़ने की संभावना है ।

अनुपूरक प्रकरण क्रमांक 0020/अ-82/2023-24 मुख्य परियोजना प्रबंधक पश्चिम मध्य रेल कोटा No.:- Dy.CE(C)/KTT/ADDITIONAL-LAND/KHILCHIPUR DATED 26-07-2023 रेल्वे विभाग को इस बात का समाधान हो गया है कि निचें दी गई अनुसूची क्रमांक 2 में रामगंज मंडी-भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना रामगंज मंडी स्टेशन से भोपाल स्टेशन तक नई बड़ी रेल लाईन तहसील खिलचीपुर कस्बा खिलचीपुर में रेल्वे के लिये वर्णित छूटी हुई शेष भूमि जिसका नामवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची-2 में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची-2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूंकि रेल्वे परियोजना का निर्माण प्रगतिरत है इस कारण धारा - 11 (3) के तहत सामाजिक सामाधान निर्धारित रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

-: अनुसूची-2 :-

रामगंज मंडी-भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना रामगंज मंडी स्टेशन से भोपाल स्टेशन तक नई बड़ी रेल लाईन तहसील खिलचीपुर कस्बा खिलचीपुर रेल्वे के लिये वर्णित छूटी हुई शेष भूमि का विवरण:-

ग्राम खिलचीपुर तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ म.प्र.

क्र	भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान खिलचीपुर	खसरा नंबर	कुल रकबा (हेक्टेयर)	अर्जित किया गया रकबा (हेक्टेयर)
1	कंवरलाल, कन्हैयालाल, पर्वत पिता भंवरलाल मु. मोत्याबाई वेबा भंवरलाल जाति दांगी नि. ग्रा. फतेहपुर भूस्वामी	419/1	0.089	0.089
		421/1	0.053	0.053
		योग	0.142	0.142
2	बजेसिंह पिता गुलाब दांगी जाति दांगी नि. फतेहपुर भूस्वामी	419/2	0.113	0.113
		421/2	0.053	0.053
		योग	0.166	0.166
3	सुरज पिता नाथूलाल, मु. कंचनबाई वेवा नाथूलाल, जाति दांगी नि. खिलचीपुर भूस्वामी	419/3	0.025	0.025
		421/4	0.053	0.053
		योग	0.078	0.078
4	कनीराम, मोतीलाल पिता लक्ष्मण, मांगीलाल,	465/25/1	0.181	0.181

	रामचरण पिता पुरीलाल चन्दनबाई वेवा भागधर जाति दांगी नि. ग्राम फतेहपुर भू-स्वामी			
		योग	0.181	0.181
5	उंकारवक्ष पिता रामगोपाल जाति दांगी नि. ग्र. खिलचीपुर भू-स्वामी	465/32/1	1.089	0.179
		योग	1.089	0.179
6	गंगाधर पिता गोपीलाल चंदनबाई वेवा गोपीलाल जाति दांगी नि. फतेहपुर भूस्वामी	465/32/4/1	0.545	0.089
		योग	0.545	0.089
7	गोकुल पिता गोपीलाल चंदनबाई वेवा गोपीलाल जाति दांगी नि. फतेहपुर भूस्वामी	465/32/4/2	0.545	0.089
		योग	0.545	0.089
8	नरसंग पिता लालजी जाति दांगी नि. फतेहपुर भूस्वामी	465/32/3/1	0.539	0.084
		योग	0.539	0.084
9	कंवरलाल पिता लालजी जाति दांगी नि. खिलचीपुर भूस्वामी	465/32/3/2	0.538	0.083
		योग	0.538	0.083
10	नरसंग, कंवरलाल पिता लालजी जाति दांगी नि. फतेहपुर भूस्वामी	465/32/3/3	0.012	0.012
		योग	0.012	0.012
11	ओमप्रकाश पिता लालू जाति घोसी पता राजगढ़ भूस्वामी	448/2	0.042	0.042
		योग	0.042	0.042
12	बाबूखान पिता कासम खां जाति पिजारा पता जीरापुर पता राजगढ़ भूस्वामी	627/40/1/1	0.462	0.090
		योग	0.462	0.090
13	शरीफ शकील अकील पिता मानखां जाति पिजारा पता खिलचीपुर भूस्वामी	627/2/1/1	1.279	0.060
		योग	1.279	0.060
		कुलयोग	5.618	1.295

रामगंज मंडी से मोपाल तक नई बडी रेल लाईन परियोजना के लिए अर्जित की जाने वाली पूरक प्रस्ताव की भूमि का विवरण कस्बा खिलचीपुर

क्र	भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान खिलचीपुर	खसरा नंबर	कुल रकबा (हेक्टेयर)	अर्जित किया गया रकबा (हेक्टेयर)
1	हजारीलाल पिता रामवक्ष जाति दांगी नि. फतेहपुर भूस्वामी	465/23/1	0.528	0.204
		योग	0.528	0.204
2	शिवनारायण पिता रामवक्ष भवरीबाई पुत्री रामवक्ष जाति दांगी नि. फतेहपुर भूस्वामी	465/23/2	0.527	0.204
		योग	0.527	0.204
3	रामप्रसाद पिता रामवक्ष केशरबाई पुत्री रामवक्ष जाति दांगी नि. फतेहपुर भूस्वामी	465/23/3	0.527	0.204
		योग	0.527	0.204
4	गंगाधरपितागुलाबजातिदांगी नि. फतेहपुर भूस्वामी	465/65/2	0.125	0.125
		योग	0.125	0.125
5	दिनेश, गायत्री पिता सत्यनारायण जाति माली नि. खिलचीपुर भूस्वामी	425	0.251	0.033
		योग	0.251	0.033
6	टीकाराम गवली पिता मनीराम गवली जाति घोसी पता राजगढ़ भूस्वामी	452/2	0.092	0.092
		योग	0.092	0.092
		कुलयोग	2.050	0.862

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र.क्र.-07-अ-82-2023-24

राजगढ़, दिनांक 24 अगस्त 2023

(अतर्गत धारा-19 भाग अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क 30 सन 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना सहस्री एव जिला राजगढ़ का ग्राम-हाथीकुमारा के लिए भूमि में शेष प्रभावित भूमि इस आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कगवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन 2013) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

-: अनुसूची (1) :-

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना हेतु प्रभावित भूमि

स.क.	विवरण	अर्जन हेतु रकबा (हे.में)
(1)	(2)	(3)
1	हाथीकुमारा	0.770
कुलयोग :-		0.770

-: अनुसूची (2) :-

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना हेतु प्रभावित भूमि (परसूलिया पहुँच मार्ग हेतु) :- ग्राम हाथीकुमारा

स.क.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा (हे.में)	अर्जित रकबा (हे.में)
1	2	3	4	5
1	शिवनारायण पिता किशोर जाति गाडरी नि.ग्रा. भू-स्वामी	203/6/2	0.632	0.130
योग :-		1	0.632	0.130
2	शमूलाल पिता देवीराम जाति दांगी निवासी ग्राम भू-स्वामी	203/1/2/2	0.639	0.130
योग :-		1	0.639	0.130
3	कमलाबाई पति रामचन्द्र जाति ब्राह्मण नि.ग्राम भू-स्वामी	203/1/3/2	0.185	0.050
योग :-		1	0.185	0.050
4	रामचरण, मोकुल पिता जगन्नाथ जाति बोदी नि.ग्राम भू-स्वामी	203/1/6	1.000	0.160
योग :-		1	1.000	0.160
कुलयोग :-		4	2.456	0.470

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना हेतु प्रभावित भूमि (रायपुरिया पहुँच मार्ग हेतु) :- ग्राम हाथीकुमारा

5	आनंदी पिता देवीराम जाति दांगी निवासी ग्राम परसूलिया	198/1	1.366	0.100
योग :-		1	1.366	0.100
6	भेरुसिंह पिता पदमसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम रायपुरिया भूमि-स्वामी	196/2	0.126	0.05
		196/4	0.119	0.05
योग :-		2	0.245	0.100
7	तोलाराम पिता भागीरथ जाति दांगी निवासी ग्राम परसूलिया भूमि-स्वामी	196/1	0.118	0.05
		196/3	0.118	0.05
योग :-		2	0.236	0.100
कुलयोग :-		5	1.847	0.300
महायोग :-		9	4.303	0.770

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

हर्ष दीक्षित, कलेक्टर.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग**

क्र.-001-अ-82-23-24-भू-अर्जन-2023-6600

सागर, दिनांक 16 अगस्त 2023

प्ररूप-क
(नियम 4 देखिए)

राज्य सरकार प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर, यथार्थिति संबंधित ग्राम पंचायत के परामर्श से निम्न भूमियों का अर्जन करना चाहती है और लोक प्रयोजन के लिए सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करना चाहती है। अध्ययन का कार्य भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

(1)	परियोजना विकासक का नाम	परियोजना प्रबंधक, बीनापी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर
(2)	भूमि के प्रस्तावित अर्जन का प्रयोजन	जेरा मध्यम सिंचाई परियोजनांतर्गत शीर्ष कार्य एवं डूब क्षेत्र निर्माण
(3)	अध्ययन का कार्य हाथ में लेने वाले सामाजिक समाघात निर्धारण दल के विवरण	1- अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सागर 2- राजस्व निरीक्षक, जैसीनगर 3- सरपंच ग्राम पंचायत, बेरखेरी गुसाई वि.ख. जैसीनगर 4- सचिव ग्राम पंचायत बेरखेरी गुसाई बेरखेरी गुसाई वि.ख.जैसीनगर
(4)	भूमि का विवरण	
(क)	जिला	सागर
(ख)	तहसील	जैसीनगर
(ग)	ग्राम/नगर	मेढकी
(घ)	कुल प्रभावित क्षेत्र	56.753 हे.
(ङ)	अर्जित होने वाला क्षेत्र	56.753 हे.
(5)	प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण	जेरा मध्यम सिंचाई परियोजनांतर्गत
(6)	परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र	56.753 हे.
(7)	क्या ग्रामसभाओं और/या भूमिधारकों की सहमति अपेक्षित है	नहीं
(8)	सामाजिक समाघात निर्धारण पूर्ण किए जाने की तारीख	अधिसूचना प्रकाशन से छः माह के भीतर

क्र.-002-अ-82-23-24-भू-अर्जन-2023-6930

सागर, दिनांक 23 अगस्त 2023

प्ररूप-क
(नियम 4 देखिए)

मौजा महुआखेड़ा गौड़ी पट.ह.नं.-01 तहसील जैसीनगर राज्य सरकार प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर, यथास्थिति संबंधित ग्राम पंचायत के परामर्श से निम्न भूमियों का अर्जन करना चाहती है और लोक प्रयोजन के लिए सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करना चाहती है। अध्ययन का कार्य भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

(1)	परियोजना विकासक का नाम	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-एक सागर जिला सागर
(2)	भूमि के प्रस्तावित अर्जन का प्रयोजन	काली पठार जलाशय योजनांतर्गत नहर निर्माण
(3)	अध्ययन का कार्य हाथ में लेने वाले सामाजिक समाघात निर्धारण दल के विवरण	1- अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सागर 2- राजस्व निरीक्षक, जैसीनगर 3- सरपंच ग्राम पंचायत, सागौनी खुर्द वि.ख.जैसीनगर 4- सचिव ग्राम पंचायत सागौनी खुर्द वि.ख.जैसीनगर
(4)	भूमि का विवरण	
(क)	जिला	सागर
(ख)	तहसील	जैसीनगर
(ग)	ग्राम/नगर	महुआखेड़ा गौड़ी
(घ)	कुल प्रभावित क्षेत्र	4.100 हे.
(ङ)	अर्जित होने वाला क्षेत्र	4.100 हे.
(5)	प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण	काली पठार जलाशय योजनांतर्गत
(6)	परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र	4.100 हे.
(7)	क्या ग्रामसभाओं और/या भूमिधारकों की सहमति अपेक्षित है	नहीं
(8)	सामाजिक समाघात निर्धारण पूर्ण किए जाने की तारीख	अधिसूचना प्रकाशन से छः माह के भीतर

क्र-003-अ-82-23-24-भू-अर्जन-2023-6931

प्ररूप-क
(नियम 4 देखिए)

मौजा सागौनी खुर्द पट.ह.नं.-01 तहसील जैसीनगर

राज्य सरकार प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर, यथास्थिति संबंधित ग्राम पंचायत के परामर्श से निम्न भूमियों का अर्जन करना चाहती है और लोक प्रयोजन के लिए सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करना चाहती है। अध्ययन का कार्य भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

(1)	परियोजना विकासक का नाम	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-एक सागर जिला सागर
(2)	भूमि के प्रस्तावित अर्जन का प्रयोजन	काली पठार जलाशय योजनांतर्गत नहर निर्माण
(3)	अध्ययन का कार्य हाथ में लेने वाले सामाजिक समाघात निर्धारण दल के विवरण	1- अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सागर 2- राजस्व निरीक्षक, जैसीनगर 3- सरपंच ग्राम पंचायत, सागौनी खुर्द वि.ख.जैसीनगर 4- सचिव ग्राम पंचायत सागौनी खुर्द वि.ख.जैसीनगर
(4)	भूमि का विवरण	
(क)	जिला	सागर
(ख)	तहसील	जैसीनगर
(ग)	ग्राम/नगर	सागौनी खुर्द
(घ)	कुल प्रभावित क्षेत्र	4.100 हे.
(ङ)	अर्जित होने वाला क्षेत्र	4.100 हे.
(5)	प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण	काली पठार जलाशय योजनांतर्गत
(6)	परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र	4.100 हे.
(7)	क्या ग्रामसभाओं और/या भूमिधारकों की सहमति अपेक्षित है	नहीं
(8)	सामाजिक समाघात निर्धारण पूर्ण किए जाने की तारीख	अधिसूचना प्रकाशन से छः माह के भीतर

क्र.-06-अ-82-23-24-भू-अर्जन-2023-6932

प्ररूप-क
(नियम 4 देखिए)

मौजा जेरा पट.ह.नं.-27 तहसील जैसीनगर

राज्य सरकार प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर, यथास्थिति संबंधित ग्राम पंचायत के परामर्श से निम्न भूमियों का अर्जन करना चाहती है और लोक प्रयोजन के लिए सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करना चाहती है। अध्ययन का कार्य भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

(1)	परियोजना विकासक का नाम	परियोजना प्रबंधक, बीनापी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर
(2)	भूमि के प्रस्तावित अर्जन का प्रयोजन	जेरा मध्यम सिंचाई परियोजनांतर्गत शीर्ष कार्य एवं डूब क्षेत्र निर्माण
(3)	अध्ययन का कार्य हाथ में लेने वाले सामाजिक समाघात निर्धारण दल के विवरण	1- अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सागर 2- राजस्व निरीक्षक, जैसीनगर 3- सरपंच ग्राम पंचायत, जेरा वि.ख.जैसीनगर 4- सचिव ग्राम पंचायत जेरा वि.ख.जैसीनगर
(4)	भूमि का विवरण	
(क)	जिला	सागर
(ख)	तहसील	जैसीनगर
(ग)	ग्राम/नगर	जेरा
(घ)	कुल प्रभावित क्षेत्र	80.500 हे.
(ड)	अर्जित होने वाला क्षेत्र	80.500 हे.
(5)	प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण	जेरा मध्यम सिंचाई परियोजनांतर्गत
(6)	परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र	80.500 हे.
(7)	क्या ग्रामसभाओं और/या भूमिधारकों की सहमति अपेक्षित है	नहीं
(8)	सामाजिक समाघात निर्धारण पूर्ण किए जाने की तारीख	अधिसूचना प्रकाशन से छः माह के भीतर

क्र.-05-अ-82-23-24-भू-अर्जन-2023-6933

प्ररूप-क
(नियम 4 देखिए)

। मौजा बेरखेरी गुसाई पट.ह.नं.-28 तहसील जैसीनगर राज्य सरकार प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर, यथास्थिति संबंधित ग्राम पंचायत के परामर्श से निम्न भूमियों का अर्जन करना चाहती है और लोक प्रयोजन के लिए सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करना चाहती है। अध्ययन का कार्य भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

(1)	परियोजना विकासक का नाम	परियोजना प्रबंधक, बीनापी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर
(2)	भूमि के प्रस्तावित अर्जन का प्रयोजन	जेरा मध्यम सिंचाई परियोजनातर्गत शीर्ष कार्य एवं डूब क्षेत्र निर्माण
(3)	अध्ययन का कार्य हाथ में लेने वाले सामाजिक समाघात निर्धारण दल के विवरण	1- अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सागर 2- राजस्व निरीक्षक, जैसीनगर 3- सरपंच ग्राम पंचायत, बेरखेरी गुसाई वि.ख. जैसीनगर 4- सचिव ग्राम पंचायत बेरखेरी गुसाई वि.ख.जैसीनगर
(4)	भूमि का विवरण	
(क)	जिला	सागर
(ख)	तहसील	जैसीनगर
(ग)	ग्राम/नगर	बेरखेरी गुसाई
(घ)	कुल प्रभावित क्षेत्र	32.692 हे.
(ड)	अर्जित होने वाला क्षेत्र	32.692 हे.
(5)	प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण	जेरा मध्यम सिंचाई परियोजनातर्गत
(6)	परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र	32.692 हे.
(7)	क्या ग्रामसभाओं और/या भूमिधारकों की सहमति अपेक्षित है	नहीं
(8)	सामाजिक समाघात निर्धारण पूर्ण किए जाने की तारीख	अधिसूचना प्रकाशन से छः माह के भीतर

क्र-04-अ-82-23-24-भू-अर्जन-2023-6934

प्ररूप-क
(नियम 4 देखिए)

मौजा जोतपुर पट.ह.नं.-28 तहसील जैसीनगर

राज्य सरकार प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर, यथास्थिति संबंधित ग्राम पंचायत के परामर्श से निम्न भूमियों का अर्जन करना चाहती है और लोक प्रयोजन के लिए सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करना चाहती है। अध्ययन का कार्य भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

(1)	परियोजना विकासक का नाम	परियोजना प्रबंधक, बीनापी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर
(2)	भूमि के प्रस्तावित अर्जन का प्रयोजन	जेरा मध्यम सिंचाई परियोजनांतर्गत शीर्ष कार्य एवं ड्रूब क्षेत्र निर्माण
(3)	अध्ययन का कार्य हाथ में लेने वाले सामाजिक समाघात निर्धारण दल के विवरण	1- अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सागर 2- राजस्व निरीक्षक, जैसीनगर 3- सरपंच ग्राम पंचायत, बेरखेरी गुसाई वि.ख. जैसीनगर 4- सचिव ग्राम पंचायत बेरखेरी गुसाई वि.ख.जैसीनगर
(4)	भूमि का विवरण	
(क)	जिला	सागर
(ख)	तहसील	जैसीनगर
(ग)	ग्राम/नगर	जोतपुर
(घ)	कुल प्रभावित क्षेत्र	41.902 हे.
(ड)	अर्जित होने वाला क्षेत्र	41.902 हे.
(5)	प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण	जेरा मध्यम सिंचाई परियोजनांतर्गत
(6)	परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र	41.902 हे.
(7)	क्या ग्रामसभाओं और/या भूमिधारकों की सहमति अपेक्षित है	नहीं
(8)	सामाजिक समाघात निर्धारण पूर्ण किए जाने की तारीख	अधिसूचना प्रकाशन से छः माह के भीतर

दीपक आर्य, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

क्र.-289-भू-अर्जन-2023

नरसिंहपुर, दिनांक 1 सितम्बर 2023

प्ररूप- V
(नियम 10 देखें)

धारा 19 (1) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यावस्थापन घोषणा का प्रकाशन
सचिव, राजस्व विभाग

रा.मा.क्र.01/अ-82/2023-24 ग्राम-सिमरियाखुर्द प.ह.नं.-21 नं.ब.-441 तहसील-तेंदूखेड़ा

जहां सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के पम्प हाऊस एवं पहुंच मार्ग निर्माण ग्राम सिमरियाखुर्द प.ह.नं. 21 नं.ब.-441 तहसील तेंदूखेड़ा जिला नरसिंहपुर में कुल 2.945 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है। इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू-खंड है, जो 2.945 हेक्टेयर है ग्राम सिमरियाखुर्द तहसील तेंदूखेड़ा जिला नरसिंहपुर में है, जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है :-

ग्राम - सिमरियाखुर्द, तहसील-तेंदूखेड़ा, प.ह.नं.-21

सा. क्र.	हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	अर्जित रकबा हे०
1	2	3	4	5
1	हरभजन वल्द गनेश कहार सा. देह	भूमि स्वामी	97	0.180
2	उमाशंकर वल्द गनेश कहार सा. देह	भूमि स्वामी	88/2/1	0.090
3	तुलसीराम वल्द गनेश कहार सा. देह	भूमि स्वामी	88/2/2	0.090
4	चुन्नीलाल वल्द भगुन्ता धोबी सा. देह	भूमि स्वामी	88/5	0.020
5	बालकिशन वल्द भगुन्ता धोबी सा. देह	भूमि स्वामी	88/6	0.122
6	गोपाल वल्द भगुन्ता धोबी सा. देह	भूमि स्वामी	88/1	0.123
7	राहुल पिता अन्नीलाल किरार सा. सिमरियाकला	भूमि स्वामी	100/1	0.162
			101/1	0.094
			102/1	0.120
8	अशोक घनश्याम पिता हिम्मत सिंह किरार सा. सिमरियाकला	भूमि स्वामी	100/2	0.162
			101/2	0.094
			102/2	0.120
9	रघुवीर तुलाराम उर्फ छोटेलाल पिता कुंजीलाल सुराजी गोपाल नर्बदीबाई पिता बलराम छुट्टीबाई वेवा बलराम रामसिंह लेखराम रामप्रसाद हरिबाई प्रेमीबाई पिता लोटन भोपत कलाबाई मालतीबाई पिता चिन्नीलाल श्याम धनसिंह लखन रामस्वरूप किशन रामदर्शन पार्वती हल्की बाई पिता सुल्तान मलाह सा. झिरी तेन्दूखेड़ा	भूमि स्वामी	103	1.050
10	खिल्लू वल्द टीकाराम चडार सा. झिरी सेवा खातेदार ग्राम नौकर	सेवा भूमि ग्राम नौकर	105	0.004
11	कंछेदी भगवानदास परषोत्तम रूपसिंह पिता महादेव किरार सा. सिमरिया	भूमि स्वामी	118/4	0.120
12	गोपाल वल्द नब्बू किरार सा. देह	भूमि स्वामी	118/2	0.165

13	रतिराम वल्द नबू किरार सा. देह	भूमि स्वामी	118/6	0.165
14	श्रीदेव रामचंद्र जी मंदिर सिमरिया खुर्द कार्यकारी ट्रस्टी चुन्नीलाल वल्द किशोरीलाल , सहायक ट्रस्टी बालकराम वल्द किशोरीलाल पालीवाल सा. बारहा भूमि स्वामी जिला अध्यक्ष महोदया नरसिंहपुर	भूमि स्वामी	121	0.064
कुल योग				2.945

- उपरोक्त सूची के सरल क्रमांक 7 एवं 8 के हितग्राहियों के नाम न्याया. तह. तेंदुखेडा के प्र.क्र. 0004/अ. 6/23.24 आ. दि. 22.05.23 एवं 0005/अ.6/23.24 आ. दि. 23.05.23 एवं सरल क्रं. 9 के हितग्राहियों के नाम याया. तह. तेंदुखेडा के प्र.क्र. 0897/अ.6/23.24 आ. दि. 11.04.23 के अनुसार संशोधित किये गये हैं।
- यह घोषणा हितबद्ध व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने और भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 15 में यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात् की गयी है।
- कार्यपालन यंत्री रा.अं.बा.लो.सा.नहर संभाग नरसिंहपुर के पत्रांक 1311 दिनांक 17.08.2023 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू- अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुम्ब की संख्या निरंक है, अतः इनके लिये पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
- चिनकी बोरस बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के पम्प हाऊस एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से किसी भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।
- उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानें हैं, खान और खनिज के ऐसे भागों, में जिन्हें उस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किए जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है।
- जिला भू अर्जन अधिकारी के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

ऋजु बाफना, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

क्र.-10074-भू-अर्जन-2023

धार, दिनांक 8 अगस्त 2023

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (01) में छोटा उदयपुर- धार नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम चुनप्या 02 तहसील गंधवानी जिला धार के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (02) में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रायोजन के लिए आवश्यकता है।

योजनान्तर्गत निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि छोटा उदयपुर-धार नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना में प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है। अतः सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण को आवश्यकता नहीं है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2013 (क. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (02) की भूमि की अनुसूची (01) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची (01)

ग्राम :- चुनप्या 02

तहसील :- गंधवानी

क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1	छोटा उदयपुर - धार नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना हेतु	20.268	0.000	20.268
	योग	20.268	0.000	20.268

अनुसूची (02)

छोटा उदयपुर - धार नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम चुनप्या 02 की प्रभावित भूमि का विवरण
ग्राम :- चुनप्या 02 तहसील :- गंधवानी

स. क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	भूमि का रकबा				अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर)		
		खसरा क्रमांक	सिंचित	असिंचित	कुल रकबा	सिंचित	असिंचित	कुल रकबा
1	सोमला, सुकला, डूलमसिंह, छितरीबाई पिता पातलिया, केशरिया, माता रम्बाबाई केशरिया, बसु, मदन माता रयाबाई, शंकर पिता मखडिया जाति भिलाला नि. चुनप्या	496/2	1.0450	0.000	1.0450	1.0350	0.000	1.0350
2	भंगडा पिता पदम जाति भिलाला, नि. चुनप्या	297	0.836	0.000	0.836	0.836	0.000	0.836
		298	0.637	0.000	0.637	0.364	0.000	0.364
		योग	1.473	0.000	1.473	1.200	0.000	1.200
3	लालसिंह, मालसिंह, सुमली, वेस्ती पिता केहरू, मोहबाई बेवा केरू, जाति भिलाला, नि. चुनप्या	294/2	0.418	0.000	0.418	0.065	0.000	0.065
		365	0.993	0.000	0.993	0.981	0.000	0.981
		354	0.543	0.000	0.543	0.525	0.000	0.525
	योग	1.954	0.000	1.954	1.571	0.000	1.571	

4	हामरिया कनकप्रसाद पानकरीबाई राजशिका भिलासा, नि. चुनप्या	जन्म मृत पिता जाति	294/1	0.418	0.000	0.418	0.330	0.000	0.330
5	रतन, सदन, खुमसिंह बली, सुरली, भुरीबाई पिता मडिया जाति भिलासा, नि. चुनप्या		295/3	0.418	0.000	0.418	0.418	0.000	0.418
			316/1	0.523	0.000	0.523	0.249	0.000	0.249
			292/2	0.523	0.000	0.523	0.160	0.000	0.160
			462/2	0.496	0.000	0.496	0.473	0.000	0.473
			योग	1.960	0.000	1.960	1.300	0.000	1.300
6	जोगडिया पिता गुलाब जाति भिलासा, नि. चुनप्या		292/1	0.303	0.000	0.303	0.303	0.000	0.303
			295/4	0.261	0.000	0.261	0.107	0.000	0.107
			316/2	0.418	0.000	0.418	0.354	0.00	0.354
			योग	0.982	0.000	0.982	0.764	0.000	0.764
7	हामरिया, गीताबाई पिता भुवान, भुरीबाई बेवा भुवान जाति भिलासा नि. चुनप्या		318/1	0.100	0.000	0.100	0.100	0.000	0.100
			335/1	0.190	0.000	0.190	0.170	0.000	0.170
			योग	0.290	0.000	0.290	0.270	0.000	0.270
8	कलाबाई पति बलदेवसिंह जाति भिलासा नि. चुनप्या		717	0.449	0.000	0.449	0.449	0.000	0.449
			847	1.359	0.000	1.359	1.359	0.000	1.359
			योग	1.808	0.000	1.808	1.808	0.000	1.808
9	गणपत, मांगू, कालू पिता नादला जाति भिलासा, नि. चुनप्या		336/1	1.912	0.000	1.912	0.450	0.000	0.450
10	बलदेव पिता नारायणसिंह, जाति भिलासा, नि. चुनप्या		935/1	1.547	0.000	1.547	1.526	0.000	1.526
11	जोगडिया पिता गुलाब जाति भिलासा नि. चुनप्या		313/1	0.900	0.000	0.900	0.900	0.000	0.900
12	मलीबाई पिता छिबरीया व रालुबाई झुमरीबाई, बेवा छिबरीया, प्यारीबाई पिता मांगीलाल जाति भिलासा निवासी चुनप्या		397/2	0.941	0.000	0.941	0.815	0.000	0.815
13	ठाकुरसिंह पिता नाथु जाति भिलासा नि. चुनप्या		107	0.993	0.000	0.993	0.100	0.000	0.100
14	कुवरसिंह पिता रामसिंह, सुनिल, मुन्ना, सरुबाई पिता हरसिंह, बनीबाई बेवा हरसिंह जाति भिलासा, नि. चुनप्या		343/2	0.736	0.000	0.736	0.320	0.000	0.320
15	भगडा कालू जोगडसिंह पिता पदम, रमेश, दिनेश, भूरिबाई पिता सोभान, सागरीबाई बेवा सोभान, जाति भिलासा नि. चुनप्या		477/1	1.411	0.000	1.411	1.200	0.000	1.200
16	भुवानसिंह पिता दिलीप जाति भिलासा नि. चुनप्या		360/2	0.470	0.000	0.470	0.270	0.000	0.270
			367/2	2.665	0.000	2.665	2.000	0.000	2.000
योग			3.135	0.000	3.135	2.270	0.000	2.270	
17	कुवरबाई पति दिपसिंह, जाति भिलासा नि. चुनप्या		343/1/5	0.369	0.000	0.369	0.036	0.000	0.036
18	भुवानसिंह पिता केरता, जाति भिलासा, नि. चुनप्या		343/1/4	0.092	0.000	0.092	0.036	0.000	0.036
19	सुभान, छगन, मगन, भगरसिंह, गमरसिंह, अगरसिंह पिता वेशु जाति भिलासा नि. चुनप्या		385	1.338	0.000	1.338	1.338	0.000	1.338
			387	1.306	0.000	1.306	1.306	0.000	1.306
			409	1.693	0.000	1.693	1.693	0.000	1.693
			योग	4.337	0.000	4.337	4.337	0.000	4.337
महायोग				26.303	0.000	26.303	20.268	0.000	20.268

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रियंक मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मुरैना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

प्र.क्र.-01-2023-24-अ-82-भू-अर्जन-सी.एम. राईज स्कूल-सुरजनपुर

मुरैना, दिनांक 4 सितम्बर 2023

भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के अन्तर्गत)

जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजन (सी.एम. राईज स्कूल सुरजनपुर) के लिये ग्राम-सुरजनपुर, तहसील-मुरैना, जिला-मुरैना में कुल अर्जित रकबा 1.450 हे. एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटुम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है।
अतः जिला-मुरैना तहसील-मुरैना के ग्राम-सुरजनपुर, प.ह.नं० 66, रा.नि. वृत्त-..... में उक्त परियोजना के लिये 1.450 हेक्टेयर भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता

क्र. सं.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्तिका नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	180	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	1.450	गीताराम सुनीलदत्त पि विशालसिंह मु गंगादेवी पत्नी विशालसिंह सं भाग 1/10 नरेशसिंह गिर्राजसिंह कमलेश पुत्रगण सरदारसिंह हि. 3/4 नरेश गिर्राजसिंह कमलेश सरदारसिंह सत्तो पुत्री सरदारसिंह हि 4/5 गीताराम सुनीलदत्त पुत्रगण विशालसिंह मीरा सरोज 6 पुत्री विशालसिंह गंगादेवी वेवा विशालसिंह सं भाग 1/5 दर हिस्सा 1/4 दर हि. 1/2 राधेश्याम उर राधाचरन पुत्र जाति ब्रा पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी।
कुल 01 सर्वे नं० में				1.450	

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 की धारा 11 (1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला मुरैना में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुरैना में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

समूचित सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में तथा यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृद्ध को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये धारा-12 के अन्तर्गत लागू उपबंधों के तहत प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय/विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई वित्त्वंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हों, फाइल किए जा सकेंगे।

विशेष :-परियोजना के लिये लोकहित में भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंधों पर कार्यवाही पूर्ण की गयी।

अंकित अस्थाना, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

प्र.क्र.-12-अ-82-22-23-भू-अर्जन-23-7063

सागर, दिनांक 29 अगस्त 2023

(देखिये धारा 19 एवं 21)

:: अधिसूचना ::

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है जिससे अधिनियम की धारा 15(2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई है तथा समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है:-

- (1) परियोजना का नाम : खतौला कॉम्प्लेक्स अंतर्गत शीर्ष कार्य एवं डूब क्षेत्र निर्माण हेतु
- (2) भूमि का विवरण
1. जिला : सागर
 2. तहसील : देवरी
 3. ग्राम : बम्हौरी
 4. पट.ह.नं.- : 18
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 55.650 है.

:: अनुसूची 2 ::

सं. क्र.	कृषको का नाम	भूमि का प्रकार	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	कुल रकवा	अर्जित भूमि का रकवा			भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों का विवरण
						सिंचित	असिंचित	पड़ती	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	देशराज वल्द मनोहरलाल गुप्ता साकिन देवरी भूमिस्वामी	कृषि	भूमिस्वामी	61	1.250	0.100	0.000	0.000	0
2	लक्ष्मण वल्द पुनउ साकिन बम्हौरी भूमिस्वामी	कृषि	भूमिस्वामी	63	1.190	1.190	0.000	0.000	घवा-2, बबूल-1 छेवला-2 कोहा-2
		कृषि	भूमिस्वामी	66/2	0.680	0.260	0.000	0.000	0
		कृषि	भूमिस्वामी	120/4	0.820	0.820	0.000	0.000	0
		कृषि	भूमिस्वामी	56/2	0.200	0.040	0.000	0.000	0
3	कमल पि. धरमदास साकिन बम्हौरी भूमिस्वामी	कृषि	भूमिस्वामी	56/4	0.880	0.050	0.000	0.000	0
		कृषि	भूमिस्वामी	64/1	0.200	0.170	0.000	0.000	सागोन-1 नीम-1
4	नधू पिता धरमदास साकिन बम्हौरी भूमिस्वामी	कृषि	भूमिस्वामी	64/2	0.480	0.480	0.000	0.000	0
5	कमल जर्फ कोमल पिता धरमदास साकिन देवरी भूमिस्वामी	कृषि	भूमिस्वामी	65/1	0.400	0.400	0.000	0.000	सागोन-2 साज-1 सेमर-1 नीम-1 कच्चा कुंआ-1

6	हीरालाल पिता नाथूराम यादव साकिन बम्होरी भूमिस्वामी	कृषि	भूमिस्वामी	65/2	1.320	1.320	0.000	0.000	सागौन-2 बहेरा-2
		कृषि	भूमिस्वामी	78/1	0.730	0.000	0.000	0.160	0
7	राजू पिता नाथूराम यादव साकिन बम्होरी भूमिस्वामी	कृषि	भूमिस्वामी	65/3	1.050	1.050	0.000	0.000	सागौन-4 नीम-1 कोहा-10
		कृषि	भूमिस्वामी	64/3	0.280	0.250	0.000	0.000	0
		कृषि	भूमिस्वामी	78/2	0.730	0.000	0.000	0.160	0
8	विश्वनाथ पिता कोमल यादव साकिन बम्होरी भूमिस्वामी	कृषि	भूमिस्वामी	65/4	0.350	0.350	0.000	0.000	सागौन-2 साज-1 बहेरा-1 नीम-1
		कृषि	भूमिस्वामी	67/1	0.430	0.430	0.000	0.000	0
		कृषि	भूमिस्वामी	78/3	0.830	0.050	0.000	0.300	कोहा-2 साज-2 बहेरा-2 सागौन-10
9	राजेंद्र पिता कोमल यादव साकिन बम्होरी भूमिस्वामी	कृषि	भूमिस्वामी	65/5	0.550	0.550	0.000	0.000	सागौन-4 बहेरा-1 साज-1
		कृषि	भूमिस्वामी	78/4	0.830	0.000	0.000	0.830	सागौन-64 कोहा-4 नीम-3 साज-5 सेमर-2 महुआ-3 बहेरा-3 घावन-2 बबूल-3
		कृषि	भूमिस्वामी	67/2	0.430	0.430	0.000	0.000	0
10	रामजी वल्द बन्दलाल यादव साकिन बम्होरी भूमिस्वामी	कृषि	भूमिस्वामी	68/1	0.920	0.920	0.000	0.000	0
		कृषि	भूमिस्वामी	68/2	0.040	0.000	0.040	0.000	छेवला-8
		कृषि	भूमिस्वामी	69/1	1.610	1.610	0.000	0.000	सागौन-4 नीम-1
		कृषि	भूमिस्वामी	69/2	1.100	1.100	0.000	0.000	0
		कृषि	भूमिस्वामी	71	0.280	0.280	0.000	0.000	सागौन-2 पलाश-1
		कृषि	भूमिस्वामी	79	1.000	0.000	0.000	1.000	सागौन-89 महुआ-4 बहेरा-2 नीम-2
11	बालकिशन बल्द चोखेलाल साकिन बम्होरी भूमिस्वामी	कृषि	भूमिस्वामी	77/3	0.990	0.830	0.000	0.000	0
		कृषि	भूमिस्वामी	84/1	2.830	2.830	0.000	0.000	पलाश-2 नीम-2 चाचेर-2 घवा-2 कच्चा कुआं-1
12	बद्रीप्रसाद पिता चोखेलाल साकिन बम्होरी भूमिस्वामी	कृषि	भूमिस्वामी	77/2	2.500	0.150	0.000	0.000	0
		कृषि	भूमिस्वामी	115	1.040	1.040	0.000	0.000	0
		कृषि	भूमिस्वामी	123/3	2.640	0.850	0.000	0.000	सागौन-45 पलाश-2 नीम-2 चाचेर-1 घवा-1 कच्चा कुआं-1

13	जमना पिता छुट्टी साकिन सागर भूमिस्वामी	कृषि	भूमिस्वामी	80	2.500	2.500	0.000	0.000	सागौन-18 कोहा-4 सेजा-2 सेमर-1 गुरान-1 करै-1 पक्का कुआं-1
14	रामप्रसाद वल्द पुनउ साकिन बम्हौरी भूमिस्वामी	कृषि	भूमिस्वामी	66/1	1.460	0.890	0.000	0.000	सागौन-5 घवा-1
		कृषि	भूमिस्वामी	56/1	0.880	0.070	0.000	0.000	0
15	प्रभू वल्द नन्हेमाई यादव साकिन बम्हौरी भूमिस्वामी	कृषि	भूमिस्वामी	81/1	0.510	0.510	0.000	0.000	रुसल्ल-2 सेजा-2 पलाश-1
		कृषि	भूमिस्वामी	82/1	0.700	0.350	0.000	0.350	सागौन-23 सेजा-2
16	राकेश वल्द नन्हेमाई यादव निवासी बम्हौरी भूमिस्वामी	कृषि	भूमिस्वामी	81/2	0.510	0.510	0.000	0.000	0
		कृषि	भूमिस्वामी	82/2	0.700	0.350	0.000	0.350	0
17	नन्हेमाई वल्द छुट्टी यादव साकिन देवरी भूमिस्वामी	कृषि	भूमिस्वामी	81/3	1.010	0.000	0.000	1.010	सागौन-3 रुसल्ला-4 साज-2 सेमर-2 कोहा-2 खुमी-1 रेजा-1 कुआं पक्का-1
18	रमेश, मोहन, द्वारका, हल्लई पिता पूरन, प्रभु, धर्मन्द्र, बल्द पूरन, दुर्गाबाई, हीराबाई पुत्री पूरन सुहागरानी, बेवा पूरन साकिन देह भूमिस्वामी	कृषि	भूमिस्वामी	84/2	0.400	0.000	0.000	0.400	सागौन-8 सागौन दूठ-1
19	कडोरी वल्द अयोध्या साकिन बम्हौरी भूमिस्वामी	कृषि	भूमिस्वामी	89	1.210	1.210	0.000	0.000	सागौन-1 साज-1 कच्चा कुआं-1
20	साहब पिता बन्नूलाल साकिन बम्हौरी भूमिस्वामी	कृषि	भूमिस्वामी	90	1.280	1.280	0.000	0.000	सागौन-3 पलाश-1
		कृषि	भूमिस्वामी	91	2.860	2.200	0.000	0.000	पक्का कुआं-1
21	लखन पिता रामचरण यादव साकिन सागर भूमिस्वामी	कृषि	भूमिस्वामी	94/1	0.700	0.700	0.000	0.000	सागौन-1 पक्का कुआं-1 मकान कच्चा कबेलू एवं पन्नी छत्त 79.15 वर्गमीटर
22	रामचरण पिता गोरेलाल यादव साकिन बम्हौरी भूमिस्वामी	कृषि	भूमिस्वामी	94/2	0.390	0.390	0.000	0.000	सागौन-3 नीम-1 पीपल-1
23	सेवक पिता रामचरण यादव साकिन बम्हौरी भूमिस्वामी	कृषि	भूमिस्वामी	94/3	0.700	0.700	0.000	0.000	सागौन-2 कुआं-1
24	सदारानी देवा रतिराम जाटव 1/8 भाग, रामसींग पिता रतिराम जाटव 1/8 भाग, भगवानदास पिता रतिराम जाटव 1/8 भाग किशोरी पिता रतिराम जाटव 1/8 भाग, बाबू	कृषि	भूमिस्वामी	97/1	1.010	0.800	0.000	0.000	0

	पिता रतिराम जाटव 1/8 भाग, कासीराम पिता रतिराम जाटव 1/8 भाग, मोतीलाल पिता रतिराम जाटव 1/8 भाग, जमनाबाई पुत्री रतिराम जाटव 1/8 भाग साकिन सिलारी भूमिस्वामी	कृषि	भूमिस्वामी	98/2	0.410	0.410	0.000	0.000	नीम-1
25	लक्ष्मण पिता झामसींग जाटव 1/8 भाग, मानसींग पिता झामसींग जाटव 1/8 भाग, बेनीसींग पिता झामसींग जाटव 1/8 भाग, गौरीशंकर पिता झामसींग जाटव 1/8 भाग, रामकली पुत्री झामसींग 1/8 भाग, हेमवतीबाई पुत्री झामसींग 1/8 भाग, ममताबाई पुत्री झामसींग 1/8 भाग, तुलसाबाई पुत्री झामसींग 1/8 भाग, भूमिस्वामी साकिन सिलारी	कृषि	भूमिस्वामी	97/2	1.020	1.000	0.000	0.000	0
26	रानी जोजे बट्टीप्रसाद साकिन देह भूमिस्वामी	कृषि	भूमिस्वामी	98/1	0.300	0.300	0.000	0.000	सागौन-3
		कृषि	भूमिस्वामी	98/4	0.450	0.450	0.000	0.000	0
27	मेहरबान वल्द कडोरी यादव साकिन बम्होरी भूमिस्वामी	कृषि	भूमिस्वामी	98/3	0.360	0.360	0.000	0.000	0
		कृषि	भूमिस्वामी	98/5	0.450	0.450	0.000	0.000	0
28	कडोरी वल्द अयोध्या प्रसाद, गायत्री पति कडोरी, मोहनलाल साकिन देह भूमिस्वामी	कृषि	भूमिस्वामी	99	0.200	0.200	0.000	0.000	पक्का कुआँ-1
		कृषि	भूमिस्वामी	100	2.510	2.510	0.000	0.000	0
29	रमेश, मोहन, द्वारका, हलकाई, रघु, धर्मन्द्र, पिस, पूरनलाल, दुर्गाबाई, हीराबाई पुत्री पूरन, सुहागरानी पति पूरनलाल, धीरज, बट्टीप्रसाद, बालकिशन, पिस, चोखेलाल, प्रभाबाई केशबाई पुत्री चौखेलाल ब्रजरानी, वेवा चोखेलाल साकिन देह भूमिस्वामी	कृषि	भूमिस्वामी	103/1	0.580	0.000	0.000	0.500	सागौन-2 सेमर-1 छेवला-1
		कृषि	भूमिस्वामी	111	0.110	0.000	0.110	0.000	खैर-1 पलाश-1 रुसल्ला-1
		कृषि	भूमिस्वामी	105/1	0.990	0.990	0.000	0.000	0
30	संतोष वल्द धीरजसिंह साकिन बम्होरी भूमिस्वामी	कृषि	भूमिस्वामी	105/2	0.080	0.080	0.000	0.000	0
		कृषि	भूमिस्वामी	106	0.790	0.790	0.000	0.000	सागौन-2
		कृषि	भूमिस्वामी	123/4	1.670	0.000	0.000	0.500	सागौन-15 रुसल्ला-2 नीम-2
31	राममिलन पिता नन्हेभाई यादव साकिन बम्होरी भूमिस्वामी	कृषि	भूमिस्वामी	107/1	1.200	1.100	0.100	0.000	सागौन-2 पलाश-3
32	भरत पिता नन्हेभाई यादव साकिन बम्होरी भूमिस्वामी	कृषि	भूमिस्वामी	107/2	1.200	1.200	0.000	0.000	सागौन-1 सेमर-1
33	अमोलरानी पति नन्हेभाई साकिन बम्होरी भूमिस्वामी	कृषि	भूमिस्वामी	107/3	0.230	0.230	0.000	0.000	सागौन-7 सेमर-1 रुसल्ला-1 कोहा-1
		कृषि	भूमिस्वामी	103/2	0.570	0.000	0.000	0.500	सागौन-9
34	नन्हेभाई पिता छुट्टे, अमोलरानी पति नन्हेभाई साकिन देह भूमिस्वामी	कृषि	भूमिस्वामी	108/1	3.720	0.000	0.000	0.090	सागौन-22 बांस-280
35	ताहिर खान पिता मजीद बख्श पठान मुसलमान साकिन जवाहर वार्ड देवरी भूमिस्वामी	कृषि	भूमिस्वामी	108/2	3.720	0.000	0.000	0.130	सागौन-7 रुसल्ला-1

36	रमेश पिता तेजबल यादव साकिन झुनकू वार्ड देवरी भूमिस्वामी	कृषि	भूमिस्वामी	112/1	0.400	0.400	0.000	0.000	0
37	सीताराम गोर्वधन पिता तेजबल यादव साकिन झुनकू वार्ड देवरी भूमिस्वामी	कृषि	भूमिस्वामी	112/2	0.060	0.060	0.000	0.000	0
		कृषि	भूमिस्वामी	113	1.110	1.110	0.000	0.000	0
		कृषि	भूमिस्वामी	114	0.800	0.800	0.000	0.000	0
38	गोविन्द वल्द बन्नूलाल 21/14, चंद्रकोत पिता माधव प्रसाद पाठक 8/41, राजेश्वरी पति चंद्रकोत पाठक 12/41 साकिन लक्ष्मीपुरा वार्ड सागर भूमिस्वामी	कृषि	भूमिस्वामी	116	4.100	0.000	0.450	0.330	0
39	रामअवतार पिता गोविन्द साकिन देवरी भूमिस्वामी	कृषि	भूमिस्वामी	117	0.810	0.810	0.000	0.000	0
40	शिवरानी पति गोविन्द साकिन बम्हौरी भूमिस्वामी	कृषि	भूमिस्वामी	118	0.810	0.810	0.000	0.000	0
41	गोविन्द पिता बन्नूलाल 27/445 भाग, साहब पिता बन्नूलाल 27/445 भाग, राजू पिता बन्नूलाल 27/445 भाग, रामजी पिता बन्नूलाल 27/445, सूरजबाई पुत्री बन्नूलाल 27/445 भाग, सदारानी वेवा बन्नूलाल 27/445 भाग, गनेश रामप्रसाद कोमल पिता पुनऊ जगदीश लखन पिता पुनऊ भूरीबाई सावित्रीबाई पुत्री पुनऊ, गोमती वेवा पुनऊ, कमला भूरी पुत्री विठी 162/445 भाग, प्रभु पिता खुमान कलू उर्फ राजकुमार पिता खुमान भागवती वेवा खुमान 121/445 भाग, साकिन सागर भूमिस्वामी	कृषि	भूमिस्वामी	119/1	4.450	1.400	0.000	0.000	सागौन-32 पलाश-2 सेज-1 रुसल्ला-1 बास-90 कुआं पक्का-1 कुआं कच्चा-1
42	कोमल वल्द पुनऊ साकिन बम्हौरी भूमिस्वामी	कृषि	भूमिस्वामी	119/2	2.420	1.700	0.000	0.000	अतूत-1 सागौन-10
		कृषि	भूमिस्वामी	120/2	1.740	0.000	0.000	0.210	सागौन-42 धवा-1 सेजा-1
43	जगदीश वल्द पुनऊ साकिन बम्हौरी भूमिस्वामी	कृषि	भूमिस्वामी	56/3	0.880	0.040	0.000	0.000	0
44	अवनीश कुमार वल्द महेशचन्द्र मिश्रा साकिन सदर बाजार सागर भूमिस्वामी	कृषि	भूमिस्वामी	122	7.350	0.000	0.000	0.650	सागौन-31 सेजा-1 छेवला-1
45	सूरज पि. इन्दर साग लोधी 1/2, सुनीज कुमार पि. टीकाराम लोधी 1/2 साकिन सेमराखेड़ी भूमिस्वामी	कृषि	भूमिस्वामी	58/1	0.700	0.270	0.000	0.000	0
योग:-				80	81.590	47.480	0.700	7.470	

3- परियोजनांतर्गत भूमि अर्जन के कारण विस्थापित कुटुंबों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु अधिनियम 2013 के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की कार्यवाही प्रचलित है। अधिनियम 2013 प्रावधानों के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन नीति अनुमोदित होने पर प्रभावित कुटुंबों को निम्नानुसार लाभान्वित किया जाना भी प्रस्तावित है।

(1) ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित किसी मकान से वंचित किये जाने की दशा में प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा जिसका कुर्सी क्षेत्र 50 वर्गमीटर से कम नहीं होगा।

11.11.2023

- (2) कंडिका-1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुंबों को, जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा।
- (3) यदि कोई प्रभावित कुटुंब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है, तो निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा।
- (4) अर्जन से प्रभावित किसी कुटुंब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा।
- (5) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रुपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
- (6) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पच्चास हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- (7) पशु या छोटी दुकान रखने वाले प्रत्येक प्रभावित कुटुंब ऐसी रकम की वित्तीय सहायता, यथास्थिति, पशुबाड़े या छोटी दुकान के निर्माण के लिए एक बारगी ऐसी रकम की वित्तीय सहायता प्राप्त करेगा जो समुचित सरकार द्वारा, न्यूनतम पच्चीस हजार रूपए की सीमा के अधीन रहते हुए अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।
- (8) किसी कारीगर, छोटे व्यापारी या स्वनियोजित व्यक्ति के प्रत्येक प्रभावित कुटुंब या ऐसे प्रभावित कुटुंब जिसके स्वामित्वाधीन प्रभावित क्षेत्र में गैर कृषिक भूमि या वाणिज्यिक, औद्योगिक या संस्थागत ढांचा है और जिसे भूमि अर्जन के कारण प्रभावित क्षेत्र से अस्वेच्छिक रूप से विस्थापित किया गया है, ऐसी रकम की एक बारगी वित्तीय सहायता पाएगा जो समुचित सरकार द्वारा न्यूनतम पच्चीस हजार रूपए की सीमा के अधीन रहते हुए अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।
- (9) प्रभावित कुटुंबों को जलाशय में मछली पकड़ने के अधिकार की अनुज्ञा ऐसी रीति में दी जा सकेगी जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए।
- (10) प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रुपये का एक बार "पुनर्व्यवस्थापन भत्ता" दिया जाएगा।
- (11) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टांप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा।
- (12) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी।
- (13) आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा।
- (14) अधिनियम 2013 की दूसरी अनुसूची की कंडीका 4 के तहत जहाँ
 - (क) परियोजना के माध्यम से कार्य सृजित किया जाता है वहाँ आपेक्षित क्षेत्र में समुचित प्रशिक्षण देने और कौशल विकास करने के पश्चात प्रत्येक प्रभावित कुटुंब के कम से कम एक सदस्य के लिये उस दर पर जो तत्समय प्रवित्त उपबंधित किसी अन्य विधि में उपबंधित न्यूनतम मजदूरी से कम ना हो, उस परियोजना में नियोजन का उपबंध किया जाना या ऐसी अन्य परियोजना में ऐसे कार्य की जिसकी अपेक्षा की जाये, ब्यावस्था किया जाना या
 - (ख) प्रति प्रभावित कुटुंब 5 लाख रुपये का एक बार संदाय अथवा
 - (ग) वार्षिक पालिसियों जिनके द्वारा कृषक श्रामिकों के लिये उपभेक्ता मुल्य सूचकांक के 20 वर्ष तक प्रति कुटुंब दो हजार रुपये प्रति माह का संदाय किया जावेगा

- (15) प्रभावित परिवारों (कुटुंबों) को जो प्रभावित मकानों में स्थाई रूप से निवासरत हैं तथा जिनके अन्यत्र स्थानों पर निवास हेतु मकान नहीं हैं को विस्थापित क्षेत्र में पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिह्नित ग्राम खतोली में खसरा नंबर 95/1 में शासकीय आवासीय पट्टे 30x30 वर्गफुट के लाटरी के माध्यम से प्रदाय किये जावेगे।

4- अधिनियम 2013 की तीसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबों/जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यक्ष प्राधिकारी के खर्चे पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुविधाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें। युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी।

- (1) सभी पुनर्व्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
- (2) वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं।
- (3) भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन।
- (4) पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था।
- (5) राज्य की स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह
- (6) उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या
- (7) यथेचित पंचायत घर
- (8) बीज सह उर्वरक भण्डारण की समुचित सुविधा, यदि आवश्यक हो।
- (9) विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए स्थापित सभी नए ग्रामों को उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें नजदीकी विकास केन्द्र/शहरी रिहायशों से स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं अवश्य सम्मिलित होनी चाहिए।
- (10) स्थल पर रहने वाले जाति-समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह
- (11) स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु
- (12) प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर-परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)
- (13) शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी
- (14) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय विद्यालय
- (15) दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र
- (16) भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
- (17) बच्चों के लिए कीड़ा क्षेत्र
- (18) प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र
- (19) प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल/वृक्ष चौतरा
- (20) व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो
- (21) मानको के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र।
- (22) उपरोक्तानुसार लाभ एवं सुविधायें प्रभावित व्यक्तियों को प्रभावित ग्राम/मकानों में अधिनियम 2013 की धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास करने की स्थिति में ही देय होंगे, तथ्य धारा 11 के प्रकाशन

दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास को प्रमाणित किये जाने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रभावित कुटुंबों (व्यक्तियों) का होगा।

(24) अधिनियम की धारा 3ड के तहत प्रभावित कुटुंब (व्यक्ति) द्वारा 18 वर्ष की आयु धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक के पूर्व पूर्ण किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर ही उपरोक्तानुसार सुविधायें एवं लाभ प्रभावित व्यक्ति/कुटुंब को दिया जावेगा।

5- अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा पुनर्व्यवस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी देवरी जिला सागर में दिनांक 10/10/2023 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी देवरी जिला सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र.क्र.-13-अ-82-22-23-भू-अर्जन-23-7064

(देखिये धारा 19 एवं 21)

:: अधिसूचना ::

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है जिससे अधिनियम की धारा 15(2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई है तथा समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है:-

- (1) परियोजना का नाम : खतौला कॉम्प्लेक्स अंतर्गत शीर्ष कार्य एवं डूब क्षेत्र निर्माण हेतु
- (2) भूमि का विवरण
1. जिला : सागर
 2. तहसील : देवरी
 3. ग्राम : सेंदवारा
 4. पट.ह.नं.- : 40
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 39.005 है.

:: अनुसूची 2 ::

सं. क्र.	भू-धारकों के नाम	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	खसरा नंबर	कुल रकवा	अर्जित भूमि का रकवा हे. में			भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों का विवरण
						सिंचित	असिंचित	पड़ती	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	भरोसे वल्द दसू 1/2 भाग, महारानी बेवा दसू गौड़ 1/2 भाग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	कृषि	4	0.670	0.670	0.000	0.000	0
		भूमिस्वामी	कृषि	56	1.810	1.810	0.000	0.000	ऑवरी-1, अमरुद-7, आम-4, निबू-2, जामुन-1, मोसबी-1, बेल-2, बेरी-2, सीताफल-20, मुनगा-2, अनार-1, सागौन-4, अन्य-1, पक्का कुआं-1
		भूमिस्वामी	कृषि	57	0.440	0.440	0.000	0.000	0
		भूमिस्वामी	कृषि	60	0.710	0.710	0.000	0.000	सागौन-3, कोहा-3, महुआ-2, अचार-2, केम-1, नीम-1, बभूय-1, बोंसभिरा
2	खेतसींग वल्द सूरतसींग उदयसींग, आँकारसींग, चंदनसींग, डेलनसींग, माधोंसींग, पिस. वलवंतसींग, कृष्णाबाई, गन्तोबाई पुत्री वलवंतसींग, द्रोपदीबाई, बेवा वलवन्त सींग सा. जैतपुर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	कृषि	7/1	1.810	0.000	0.470	0.000	सागौन-35, कोहा-3, छेवला-2, नीम-1, केम-2, पक्का कुआं-1

3	अजुद्धी वल्द चेतू गौंड साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	कृषि	8/1	2.800	0.380	0.000	0.000	0
4	गनेशबाई पति बाबूलाल साकिन खतौला भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	कृषि	12/1	0.550	0.040	0.000	0.000	पक्का कुआं
5	शंकर लाल पिता बाबूलाल साकिन खतौला भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	कृषि	12/2	1.000	0.130	0.000	0.000	0
6	कडोरीलाल पिता बाबूलाल साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	कृषि	12/3	1.000	0.110	0.000	0.000	0
7	जगन्नाथ पिता बाबूलाल साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	कृषि	12/4	1.010	0.090	0.000	0.000	0
8	दामोदर पिता बाबूलाल साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	कृषि	12/5	1.010	0.070	0.000	0.000	0
9	अवधरानी बेबा हरिसींग 1/4 कमलरानी पिता हरिसींग 1/4 परशोत्तम पिता हरिसींग 1/4 मोहन पिता हरिसींग 1/4 साकिन सेंदवारा भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	कृषि	14/1	0.670	0.040	0.000	0.000	0
		भूमिस्वामी	कृषि	67	2.430	1.360	0.000	0.030	बेल-1, आम-9, अमरुद-4, केला-3, आंवला-3, सागौन-2 बांस-30 कुआं पक्का-1
10	शंकर पिता फूलसींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	कृषि	14/2	0.670	0.040	0.000	0.000	0
11	भगवत पिता जगन सा0 सेंदवारा भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	कृषि	15	2.760	0.150	0.000	0.000	0
12	धनू पिता. चेतू गौंड खुमान, फागू, रुपसींग, धीरज पिता बब्बू कमला, रेवती, विनीता पिता बब्बू वृजराणी बेबा बब्बू गौंड साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	कृषि	21/1	1.550	0.075	0.000	0.000	0
13	सुहागरानी बेबा सिब्बू 1/7 बंदना पुत्री सिब्बू 1/7 रश्मी पुत्री सिब्बू 1/7 नर्मदा प्रसाद पिता सिब्बू 1/7 मलखान पिता सिब्बू 1/7 विजय पिता सिब्बू 1/7 रणधीर पिता सिब्बू 1/7 साकिन सेंदवारा भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	कृषि	21/2	0.520	0.055	0.000	0.000	0
14	प्रतापनारायण वल्द विष्णुप्रसाद साकिन खतौला भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	कृषि	22/1	0.280	0.030	0.000	0.000	0
		भूमिस्वामी	कृषि	22/2	1.040	0.025	0.000	0.030	0
15	प्रभावती पति बसंत सिंह गौंड साकिन सागर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	कृषि	22/3	0.800	0.040	0.000	0.000	0
16	बृजेश पिता विष्णुप्रसाद साकिन देवरी भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	कृषि	22/4	1.200	0.060	0.000	0.000	0
17	लक्ष्मण पिता विष्णुप्रसाद साकिन देवरी भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	कृषि	22/5	1.200	0.065	0.000	0.000	0
18	सूरतसींग पिता हिरदेसींग संतोष अमरसींग गौतम नाबा वल्द व वली सूरतसींग भागीरथ नन्हे पिता खिलान रामाबाई पुत्री खिलान गौंड नरान रमेश पिता घम्मू कुसुम अनीता पुत्री घम्मू साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	कृषि	29/1	0.460	0.150	0.000	0.000	0
		भूमिस्वामी	कृषि	30	0.490	0.120	0.000	0.000	0
19	यशवंत सिंह पिता मर्दन सिंह 1/3 भाग, गोकलसींग पिता मर्दन सिंह 1/3 भाग, गुलाबसींग पिता मर्दन सिंह 1/3 भाग भूमिस्वामी साकिन सेंदवारा भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	कृषि	32	1.130	0.035	0.000	0.000	पक्का कुआं-1

20	यशवंत, गुलाब, गोकलसिंग पिस मदनसिंग, पुनाबाई, रामबाई पुत्री मदनसिंग, मानसिंग पिस गोरेलाल, मालतीबाई, क्रांति पुत्री गोरीलाल, तांती वल्द घन्सू, सियारानी वेवा रामा, श्रीबाई पुत्री रामा, केशरबाई वेवा घासीराम, क्रांतिबाई, राधाबाई, लक्ष्मीबाई ना.वा. पुत्री घासीराम वली मां केशरबाई, राजू, भजन, लेखन पिस. रामा गौड़, मूरत सत्यभान नेतराम रामअवतार श्याम पिता तिजई इमरती मीरा पुत्री तिजई प्रकाशरानी वेवा तिजई साकिन खतौला भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	कृषि	35	1.100	0.000	0.100	0.000	0
21	गणेश वल्द सूरतसिंग गौड़ साकिन खतौला भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	कृषि	53/1	2.470	0.500	0.000	0.000	सागौन-2 छेवला-1 कोहा-1 बांस-650
22	श्री देव जानकरी रमणजी मंदिर, मुह. रामसिंग उत्तमसिंग पिता श्रीसिंग साकिन पाटई भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	कृषि	53/2	2.000	2.000	0.000	0.000	सागौन-7 कोहा-2 महुआ-1
23	रूपरानी वेवा भगवानदास 1/5 भाग, हरिराम पिता भगवानदास 1/5 भाग, हल्लेभाई पिता भगवानदास चैनसिंग पिता भगवानदास 1/5 भाग, परमा पुत्री भगवानदास 1/5 भाग साकिन सेंदवारा भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	कृषि	54	2.130	2.130	0.000	0.000	निबू-1, बेल-1 मुनगा-4 सीताफल-21 आम-4, ऑवरी-5, अमरुद-4 कटहर-1, सागौन-4 कोहा-2, बांस-175 कुआं पक्का-1
24	बैजनाथ पिता जयसिंग साकिन सेंदवारा भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	कृषि	55/1	0.990	0.990	0.000	0.000	निबू-3, मुनगा-1 सीताफल-5 अमरुद-3 बेल-1, बेरी-4 सागौन-5 छेवला-2 बांस-120
25	भगवानदास पिता जयसिंग सेंदवारा भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	कृषि	55/2	0.990	0.990	0.000	0.000	सागौन-3 नीम-3, कुआं
26	हीराबाई, ममताबाई, सोनाबाई पुत्री तुलसीराम साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	कृषि	55/3	0.990	0.990	0.000	0.000	0
27	टीकाराम पिता लक्ष्मण सिंग गौड़ साकिन सेंदवारा भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	कृषि	58	1.700	1.700	0.000	0.000	ऑवरी-1 अमरुद-10, आम-2, निबू-8 बेल-1, बेरी-1, सीताफल-2, मुनगा-1, तेंदू-2 सागौन-25 कोहा-3 छेवला-2 नीम-1, केम-2 बमुरा-2
28	कुद्दा पिता निजाम 1/4 भाग, भगुन्त पिता जयसिंग 1/4 भाग, भरोसे पिता दलू 1/4 भाग फूलसिंग पिता जगन्नाथ 1/16 भाग, घनाबाई पुत्री जगन्नाथ 1/16 भाग, चिरोजाबाई पुत्री जगन्नाथ 1/16 भाग, लल्लीबाई पुत्री जगन्नाथ 1/16 भाग, साकिन सेंदवारा भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	कृषि	62	1.170	1.170	0.000	0.000	सागौन-1 बांस-80, कोहा-1
29	भागीरथ वल्द खिलानसिंग गौड़ साकिन सेंदवारा भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	कृषि	66	0.810	0.810	0.000	0.000	कटहर-3, अमरुद-6 ऑवला-1, बेल-1, मुनगा-2, बेरी-3, आम-1, सीताफल-1, सागौन-1
30	फुन्दी, नन्हू, मुलू, प्रीतम, हीराबाई, रामकली, मुलाबाई पिस. अजुद्धी, मदरोबाई वेवा अजुद्धी साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	कृषि	68/1	1.660	1.280	0.000	0.000	ऑवरी-3, आम-1 अमरुद-2, कुआं

31	फुन्दी वल्द अजुद्धी गौड़ साकिन सेंदवारा भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	कृषि	68/2	1.020	1.020	0.000	0.000	औवरी-3 अमरुद-4 आम-8, निबू-2 सीताफल-6, कटहर-1, बेल-4,
32	भागोनी वल्द अजुद्धी गौड़ साकिन सेंदवारा भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	कृषि	68/3	0.400	0.400	0.000	0.000	0
33	मुलू वल्द अजुद्धी गौड़ साकिन सेंदवारा भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	कृषि	68/4	0.800	0.800	0.000	0.000	औवरी-3, आम-1 अमरुद-2
34	रामनाथ वल्द अजुद्धी गौड़ साकिन सेंदवारा भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	कृषि	69	2.630	2.630	0.000	0.000	आम-2, महुआ-1, अमरुद-2, औवला-6 सागौन-26 छेवला-1 कोहा-1 बांस-90
35	विश्वनाथ सिंह वल्द गनेशसिंह गौड़ साकिन सेंदवारा भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	कृषि	70/1	2.330	2.330	0.000	0.030	सागौन-36 बासमिरा कोहा-9 बमूरा-4 महुआ-7 अचार-2 तैदू-1, नीम-2
36	यशवंतसिंह वल्द मर्दनसिंह गौड़ साकिन सेंदवारा भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	कृषि	70/2	0.740	0.740	0.000	0.000	औवरी-2, अमरुद-3 आम-2, निबू-7, कटहर-2, बेरी-5, सीताफल-2 सागौन-2, बबूल-6
		भूमिस्वामी	कृषि	71/1	2.470	2.470	0.000	0.000	सागौन-3, कोहा-5 महुआ-5, तैदू-2 बांस-134
37	गोकलसिंह वल्द मर्दनसिंह गौड़ साकिन सेंदवारा भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	कृषि	70/3	0.800	0.800	0.800	0.000	आम-1, अमरुद-2 बेल-1, बेरी-8 औवरी-4, कूआं
38	गुलाव सिंह वल्द मर्दनसिंह गौड़ साकिन सेंदवारा भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	कृषि	70/4	0.800	0.800	0.800	0.000	0
39	मोहन हुकम नल्लू परसराम, दिलीप पिस कलू भागवती बबीता पुत्री कलू शिवरानी बेबा कलू साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	कृषि	71/2	2.470	2.470	0.000	0.000	सागौन-2 कोहा-6, बोर
40	तुलसीराम पिता तांती गौड़ 1/9 भाग, कमलेश पिता तांती गौड़ 1/9 भाग, देवराज पिता तांती गौड़ 1/9 भाग, हरीबाई पुत्री तांती गौड़ 1/9 भाग, प्रभा पुत्री तांती गौड़ 1/9 भाग, सावित्री पुत्री तांती गौड़ 1/9 भाग, कुंवरबाई पुत्री तांती गौड़ 1/9 भाग, सदरानी वेवा तांती गौड़ 1/9 भाग, इन्द्राज पिता विश्वनाथ गौड़ 1/36, राधा पुत्री विश्वनाथ गौड़ 1/36 भाग, आरती पुत्री विश्वनाथ गौड़ 1/36 भाग, यशोदारानी वेवा विश्वनाथ गौड़ 1/36 भाग, साकिन सेंदवारा भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	कृषि	71/3	2.480	2.480	0.000	0.000	आम-2, बेरी-2 कटहर-1, अमरुद-2, सीताफल-4, तुलसीराम अमरुद-2, निबू-3, बेरी-4, केला-20, आम-2, जायुन-2 पपीता-4, मुनगा-1, सागौन-12 बासमिरा कोहा-4
41	चित्तर सींग पिता देवरी पता देवरी भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	कृषि	72	3.640	2.150	0.000	0.000	आम-5, निबू-13, अमरुद-3, औवला-8, कटहर-3, मुनगा-1, बेल-5, बेरी-1, सागौन-2 कोहा-1, बांस-185
कुल योग:-				47	64.600	36.745	2.170	0.090	0

खतौला कॉम्प्लेक्स सिचाई परियोजना में भूमि अर्जन के कारण प्रभावित मकान एवं कुटुम्बों का विवरण

सरल क्रमांक	वर्तमान अभिलेखानुसार भू-धारक का विवरण	खसरा नंबर	भूमि पर निर्मित मान्यधारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण			धारा 11.के प्रकाशन दिनांक को धारा 3ड के तहत प्रभावित कुटुम्बों का विवरण	अर्जित मकान में प्रभावित व्यक्ति का स्थायी निवास है अथवा अस्थाई	
				झोपड़ी/कच्चाकबेलू/टिन शेड/पक्का गार्डर फर्शी/आर.सी.सी.	लं. X चौ.	मकान का क्षेत्रफल (व.मी.मे)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	मुलू वल्द अजुद्धी गौड़	68/4	मूलचंद पिता अजुद्धी अनुभाग-146 भाग-2 सरल क्रमांक -267	कच्चा मकान कबेलू छाये	14.75 x 5.80	85.550	निरंक	स्थाई	
2				कच्चा मकान कबेलू छाये	6.2x6.10	37.820			
3				निरंक	0	0.000			अरविंद पिता मूलचंद
4				निरंक	0	0.000			छुट्टन पिता मूलचंद
5	मुलू वल्द अजुद्धी गौड़	68/4	लालसींग पिता मूलचंद अनुभाग-146 भाग-2 सरल क्रमांक -270	कच्चा कबेलू बरासती घास छाई	7.0x6.0	42.000	निरंक	स्थाई	
6	फुन्दी वल्द अजुद्धी गौड़	68/2	बलराम पिता फुन्दी अनुभाग-146 भाग-2 सरल क्रमांक -140	कच्चा मकान कबेलू	11.95 x 5.30	63.335	निरंक	स्थाई	
7				कच्चा मकान कबेलू	5.50 x 4.20	23.100			
8				कच्ची दहलान कबेलू	5.50 x 7.75	42.625			
9				निरंक	0	0.000			लेखन पिता फुन्दी स. क्र.-142
10	रामनाथ वल्द अजुद्धी गौड़	69	देवी सिंह पिता रामनाथ अनुभाग-146 भाग-2 सरल क्रमांक -187	आर.सी.सी फर्शी छत (पी.एम. आवास)	6.45 x 4.35	28.058	निरंक	स्थाई	
11	रामनाथ वल्द अजुद्धी गौड़	69	रामनाथ पिता अजुद्धी अनुभाग-146 भाग-2 सरल क्रमांक -181	कच्चा मकान कबेलू	6.0 x 9.20	55.200	निरंक	स्थाई	
12	भागीरथ वल्द खिलानसींग गौड़	66	भागीरथ पिता खिलान अनुभाग-146 भाग-2 सरल क्रमांक -319	कच्ची दीवार कबेलू छाई	6.60 x 20.10	132.660	निरंक	स्थाई	
13				दहलान कबेलू छाई	2.20 x 5	11.000			
14				निरंक	0	0.000			ब्रजेश पिता भागीरथ सरल क्र.-323
				निरंक	0	0.000	मुलायम पिता भागीरथ सरल क्र.-215	निरंक	

15	अवधरानी कमलरानी पुरुषोत्तम, मोहन बल्द हरिसींग	67	अवधरानी पति हरिसींग	आर सी सी. (पो.एम.आवास)	4 x 7.30	29.200	निरंक	स्थाई
16	अवधरानी कमलरानी	67	मोहन पिता हरिसींग	कच्चा मकान कबेलू	8.80 x 10.90	95.920	निरंक	स्थाई
17	पुरुषोत्तम, मोहन बल्द हरिसींग		अनुभाग-146 भाग-2 सरल क्रमांक -238	निरंक	0	0.000	परसोत्तम पिता हरिसींग सरल क्र.-230	स्थाई
18				निरंक	0	0.000	देवेन्द्र पिता परसोत्तम	स्थाई
19	यशवंतसिंह बल्द मर्दनसिंह गौड़	71/1	छतरसींग पिता यशवंत सींगअनुभाग-146 भाग-2 सरल क्रमांक -314	कच्चा मकान कबेलू	5.80 x 6.20	35.960	निरंक	स्थाई
20	गोकलसिंह बल्द	70/3	गोकलसिंह बल्द मर्दनसिंह गौड़ अनुभाग-146 भाग-4 सरल क्रमांक -736	कच्चा मकान कबेलू	9.0 x 10.60	95.400	निरंक	अस्थाई
21	मर्दनसिंह गौड़						सिवेन्द्र पिता गोकल	स्थाई
22	कमलेश पिता ताँती तुलसी पिता ताँती अन्य 8	71/3	कमलेश पिता ताँती अनुभाग-146 भाग-2 सरल क्रमांक -264 देवराज पिता ताँती अनुभाग-146 भाग-2 सरल क्रमांक -306	कच्चा कबेलू	10x4.80	48.000	निरंक	स्थाई
23	कमलेश पिता ताँती तुलसी पिता ताँती अन्य 8	71/3	तुलसीराम पिता ताँती अनुभाग-146 भाग-2 सरल क्रमांक -262	कच्ची दीवार बरसाती छाई	4.15x3.35	13.903	निरंक	स्थाई
				कच्ची दीवार बरसाती छाई	5.80 x 3.80	22.040		
24	रुपरानी बेबा भगवानदास हरिराम हल्लेभाई चैनसींग	54	रुपरानी बेबा भगवानदास अनुभाग-146 भाग-2 सरल क्रमांक -219	कच्चा मकान कबेलू	12.10 x 4.10	49.610	निरंक	स्थाई
				कच्चा मकान कबेलू	6.75 x 4.10	27.675		
				कच्ची दहलान कबेलू	2.20 x 18.85	41.470		
25	परमा पिता भगवसनदा स			निरंक	0	0.000	हरिराम पिता भगवानदास सरल क्र.-222	स्थाई
26				निरंक	0	0.000	चैनसींग पिता भगवानदास सरल क्र.-226	स्थाई
27				निरंक	0	0.000	हल्लेभाई पिता भगवानदास सरल क्र.-197	स्थाई
28	बैजनाथ पिता जयसींग	55/1	राधरानी पति बैजनाथअनुभाग 1 46 भाग-2 सरल क्रमांक -212	कच्चा मकान कबेलू	6.10 x 3.80	23.180	निरंक	स्थाई
				कच्ची दहलान कबेलू	8.30 x 2 3.80 x 2.20	16.60 8.36		
				कच्चा मकान कबेलू(पन्नी छाई)	4.90 x 4.30	21.070		

				आर.सी.सी फर्सी छत(पी.एम.आवास)	4.25 × 3.90+ 2.5× 2	22.075		
29				निरंक	0	0.000	गोविन्द पिता बैजनाथ सरल क्र.-195	स्थाई
30	भरोसे वल्द दसू महारानी बेवा गौड़	56	भरोसे बल्द दलू अनुभाग-146 भाग-2 सरल क्रमांक -165	कच्चा मकान कबेलू	15.0 × 9.80	147.00 0	निरंक	स्थाई
	कुद्दा वल्द निजाम बगै.	62		कच्ची दहलान कबेलू	8.70×9.0	78.300		
31				कच्चा कबेलू	6.80×4.60	31.280		
				निरंक	0	0.000	प्रताप पिता भरोसी सरल क्र.-204	स्थाई
32	टीकाराम पिता लक्ष्मण सींग गौड़	58	टीकाराम पिता लछमन अनुभाग-146 भाग-2 सरल क्रमांक -194	कच्चा मकान कबेलू	7.75× 7.75	60.063	निरंक	स्थाई
33	मुलू वल्द अजुद्धी गौड़	68/4	गोपी सींग पिता मूलचंद अनुभाग-146 भाग-2 सरल क्रमांक -269	पक्की दीवार चददर छाई (पी.एम.आवास)	6.5×4.3	27.950	निरंक	निर्माणाधी न है
34	फुन्दी वल्द अजुद्धी गौड़	68/2	छबरानी पति फुन्दी अनुभाग-146 भाग-2 सरल क्रमांक -149	आर.सी.सी (पी.एम. आवास) निर्माणाधीन	4.30×6.5	27.950	निरंक	निर्माणाधी न है
35	हीराबाई, ममाताबाई, सोनाबाई पुत्री तुलसीराम	55/3	सोनाबाई (निवास योग्य नहीं)	कच्चा मकान कबेलू टूटा हुआ	3.80 × 4.50	17.100	निरंक	अस्थाई

3- परियोजनांतर्गत भूमि अर्जन के कारण विस्थापित कुटुंबों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु अधिनियम 2013 के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की कार्यवाही प्रचलित है। अधिनियम 2013 प्रावधानों के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन नीति अनुमोदित होने पर प्रभावित कुटुंबों को निम्नानुसार लाभान्वित किया जाना भी प्रस्तावित है।

- (1) ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित किसी मकान से वंचित किये जाने की दशा में प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा जिसका कुर्सी क्षेत्र 50 वर्गमीटर से कम नहीं होगा।
- (2) कंडिका-1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुंबों को, जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्धून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा।
- (3) यदि कोई प्रभावित कुटुंब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है, तो निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा।
- (4) अर्जन से प्रभावित किसी कुटुंब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा।
- (5) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रुपये के समतुल्य, मूसवार, जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।

- (6) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पच्चास हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
 - (7) पशु या छोटी दुकान रखने वाले प्रत्येक प्रभावित कुटुंब ऐसी रकम की वित्तीय सहायता, यथास्थिति, पशुबाड़े या छोटी दुकान के निर्माण के लिए एक बारगी ऐसी रकम की वित्तीय सहायता प्राप्त करेगा जो समुचित सरकार द्वारा, न्यूनतम पच्चीस हजार रूपए की सीमा के अधीन रहते हुए अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।
 - (8) किसी कारीगर, छोटे व्यापारी या स्वनियोजित व्यक्ति के प्रत्येक प्रभावित कुटुंब या ऐसे प्रभावित कुटुंब जिसके स्वामित्वाधीन प्रभावित क्षेत्र में गैर कृषिक भूमि या वाणिज्यिक, औद्योगिक या संस्थागत ढांचा है और जिसे भूमि अर्जन के कारण प्रभावित क्षेत्र से अस्वेच्छिक रूप से विस्थापित किया गया है, ऐसी रकम की एक बारगी वित्तीय सहायता पाएगा जो समुचित सरकार द्वारा न्यूनतम पच्चीस हजार रूपए की सीमा के अधीन रहते हुए अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।
 - (9) प्रभावित कुटुंबों को जलाशय में मछली पकड़ने के अधिकार की अनुज्ञा ऐसी रीति में दी जा सकेगी जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए।
 - (10) प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रूपये का एक बार "पुनर्व्यवस्थापन भत्ता" दिया जाएगा।
 - (11) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टॉप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा।
 - (12) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी।
 - (13) आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा।
 - (14) अधिनियम 2013 की दूसरी अनुसूची की कंडीका 4 के तहत जहाँ
 - (क) परियोजना के माध्यम से कार्य सृजित किया जाता है वहाँ आपेक्षित क्षेत्र में समुचित प्रशिक्षण देने और कौशल विकास करने के पश्चात प्रत्येक प्रभावित कुटुंब के कम से कम एक सदस्य के लिये उस दर पर जो तत्समय प्रवित्त उपबंधित किसी अन्य विधि में उपबंधित न्यूनतम मजदूरी से कम ना हो, उस परियोजना में नियोजन का उपबंध किया जाना या ऐसी अन्य परियोजना में ऐसे कार्य की जिसकी अपेक्षा की जाये, ब्यावस्था किया जाना या
 - (ख) प्रति प्रभावित कुटुंब 5 लाख रूपये का एक बार संदाय अथवा
 - (ग) वार्षिक पालिसियों जिनके द्वारा कृषक श्रामिकों के लिये उपभेक्ता मुल्य सूचकॉक के 20 वर्ष तक प्रति कुटुंब दो हजार रूपये प्रति माह का संदाय किया जावेगा
 - (15) प्रभावित परिवारों (कुटुंबों) को जो प्रभावित मकानों में स्थाई रूप से निवासरत है तथा जिनके अन्यत्र स्थानों पर निवास हेतु मकान नहीं है को विस्थापित क्षेत्र में पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित ग्राम खतोली में खसरा नंबर 95/1 में शासकीय आवासीय पट्टे 30x30 वर्गफुट के लाटरी के माध्यम से प्रदाय किये जावेगे।
- 4- अधिनियम 2013 की तीसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबों/जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यक्ष प्राधिकारी के खर्चे पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुवधाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सकें और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें। युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी।
- (1) सभी पुनर्व्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।

- (2) वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं।
- (3) भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन।
- (4) पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था।
- (5) राज्य की स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह
- (6) उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या
- (7) यथेचित पंचायत घर
- (8) बीज सह उर्वरक भण्डारण की समुचित सुविधा, यदि आवश्यक हो।
- (9) विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए स्थापित सभी नए ग्रामों को उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें नजदीकी विकास केन्द्र/शहरी रिहायशों से स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं अवश्य सम्मिलित होनी चाहिए।
- (10) स्थल पर रहने वाले जाति-समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह
- (11) स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु
- (12) प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर-परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)
- (13) शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाडी
- (14) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय विद्यालय
- (15) दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र
- (16) भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
- (17) बच्चों के लिए कीड़ा क्षेत्र
- (18) प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र
- (19) प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल/वृक्ष चौतरा
- (20) व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो
- (21) मानकों के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र।
- (22) उपरोक्तानुसार लाभ एवं सुविधायें प्रभावित व्यक्तियों को प्रभावित ग्राम/मकानों में अधिनियम 2013 की धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास करने की स्थिति में ही देय होंगे तथा धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास को प्रमाणित किये जाने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रभावित कुटुंबों (व्यक्तियों) का होगा।
- (24) अधिनियम की धारा 3ड के तहत प्रभावित कुटुंब (व्यक्ति) द्वारा 18 वर्ष की आयु धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक के पूर्व पूर्ण किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर ही उपरोक्तानुसार सुविधायें एवं लाभ प्रभावित व्यक्ति/कुटुंब को दिया जावेगा।

5- अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा पुनर्व्यवस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी देवरी जिला सागर में दिनांक 11/10/2023 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और

विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी देवरी जिला सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

दीपक आर्य, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 9 अगस्त 2023

क्र. बी-5739-तीन-10-42-75-(इन्दौर-सांवेर).—उच्च न्यायालय की अधिसूचना क्रमांक ए-2087, दिनांक 22 अप्रैल 2023, जहाँ तक कि उसका संबंध जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की श्रृंखला न्यायालय सांवेर (जिला इंदौर) के संचालन से है, को एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

No. B-5739-III-10-42-75-(Indore-Sanwer).—High Court Notification No. A-2087, dated 22nd April 2023, so far as it relates to holding Link Court of District & Additional Session Judge at Sanwer (District Indore), is hereby stands cancelled.

By order of Hon'ble Chief Justice,
SANTOSH PRASAD SHUKLA, Registrar (District
Establishment).

जबलपुर, दिनांक 18 अगस्त 2023

क्र. A-5110-दो-2-68-2022.—श्री हरसहाय पटेरिया, डिप्टी रजिस्ट्रार (M), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 31 जुलाई से 5 अगस्त 2023 तक, छह दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री हरसहाय पटेरिया, डिप्टी रजिस्ट्रार (M), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री हरसहाय पटेरिया, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी रजिस्ट्रार (M) के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 21 अगस्त 2023

क्र. A-5119-दो-2-68-2022.—श्री हरसहाय पटेरिया, डिप्टी रजिस्ट्रार (M), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 11 से 15 सितम्बर 2023 तक, पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री हरसहाय पटेरिया, डिप्टी रजिस्ट्रार (M), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री हरसहाय पटेरिया, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी रजिस्ट्रार (M) के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-3525-दो-2-8-2023.—श्री तजिन्दर सिंह अजमानी, संकाय सदस्य (वरिष्ठ), मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 29 मई से 7 जून 2023 तक के ग्रीष्मकालीन/सार्वजनिक अवकाश के साथ एल. टी. सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2019 से वर्ष 2023 तक की ब्लाक अवधि हेतु दस दिवस (केवल दस दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666-इक्कीस-ब (एक) 2011, दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी।

जबलपुर, दिनांक 8 अगस्त 2023

क्र. A-4889-दो-2-48-2022.—श्रीमती संगीता मदान, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, इन्दौर को दिनांक 30 जून से 1 जुलाई 2023 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 29 जून 2023 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 2 जुलाई 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती संगीता मदान, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती संगीता मदान, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. A-4891-दो-2-21-2019.—श्री लखनलाल गर्ग, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3440-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 7 दिसम्बर 2007 में दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2021 से दिनांक 31 अगस्त 2023 तक एक वर्ष दस माह की अवधि के लिए 27 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. A-4893-दो-2-36-2021.—श्री आनंद कुमार तिवारी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी को दिनांक 19 से 23 सितम्बर 2023 तक, पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 16 से 18 सितम्बर 2023 तक के तथा दिनांक 24 सितम्बर 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री आनंद कुमार तिवारी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी को बड़वानी पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आनंद कुमार तिवारी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. A-4895-दो-2-38-2020.—श्री अरूण कुमार वर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर को निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया गया है :—

1. दिनांक 17 से 18 जुलाई 2023 तक, दो दिन का स्वीकृत आकस्मिक अवकाश निरस्त किया गया है।
2. दिनांक 13 से 18 जुलाई 2023 तक, छह दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री अरूण कुमार वर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर को अलीराजपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अरूण कुमार वर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. A-4897-दो-2-40-2019.—श्री अमिताभ मिश्र, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर को दिनांक 16 से 18 अगस्त 2023 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 19 एवं 20 अगस्त 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री अमिताभ मिश्र, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर को सीहोर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अमिताभ मिश्र, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. A-4899-दो-2-37-2020.—श्री विवेक कुमार गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, उज्जैन को दिनांक 11 से 13 जुलाई 2023 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री विवेक कुमार गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री विवेक कुमार गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. A-4901-दो-2-31-2018.—श्री मो. सैय्यदुल अबरार अंसारी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भिण्ड को 17 से 19 जुलाई 2023 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री मो. सैय्यदुल अबरार अंसारी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भिण्ड को भिण्ड पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री मो. सैय्यदुल अबरार अंसारी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. A-4903-दो-2-109-2017.—श्री डी. एन. मिश्र, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, बालाघाट को 17 से 18 अगस्त 2023 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 19 एवं 20 अगस्त 2023 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री डी. एन. मिश्र, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, बालाघाट को बालाघाट पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री डी. एन. मिश्र, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. A-4928-दो-2-35-2021.—श्रीमती शशिकांता वैश्य, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भोपाल को दिनांक 12 से 13 जुलाई 2023 तक, दो दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती शशिकांता वैश्य, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती शशिकांता वैश्य, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. A-4930-दो-3-420-80-भाग-बारह.—श्री विमल प्रकाश शुक्ला, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (जिला एवं सत्र न्यायाधीश), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ, ग्वालियर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक 3487-इक्कीस-ब(एक)-2023, दिनांक 26 अप्रैल 2023 के संलग्न प्राप्त आर्डर शीट अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, भोपाल द्वारा अनुमोदित अखिल भारतीय सेवाएं (अवकाश) नियम, 1955 के नियम 20ए के अनुसार—श्री शुक्ला की सेवानिवृत्ति दिनांक 20 जनवरी 2022 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

1. अर्जित अवकाश	.. 288
अर्द्धवेतन अवकाश	.. 12

योग : 300 दिवस

2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी:—

(i) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान = 288 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.

(ii) सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अवकाश वेतन अनुज्ञेय+महंगाई भत्ता

अर्द्धवेतनिक अवकाश
के एवज में नगद = _____ X 12
भुगतान. 30

क्र. A-4930-A-दो-3-420-80 भाग-बारह.—श्री विमल प्रकाश शुक्ला, स्वैच्छिक सेवानिवृत्त प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (जिला एवं सत्र न्यायाधीश), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ, ग्वालियर को सेवानिवृत्ति दिनांक 20 जनवरी 2022 को पूर्व के प्रचलित नियमों के अनुसार स्वीकृत अवकाश नगदीकरण रजिस्ट्री आदेश क्रमांक सी-1131, दिनांक 21 मार्च 2022 निरस्त किया जाता है।

क्र. A-4932-दो-2-38-2021.—श्री के. एस. बारिया, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को दिनांक 5 से 8 जुलाई 2023 तक, चार दिन का कम्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 9 जुलाई 2023 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री के. एस. बारिया, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. एस. बारिया, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. B-5682-दो-3-420-80-भाग-बारह.—श्री ओंकार नाथ, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायसेन को सेवानिवृत्ति दिनांक 31 जुलाई 2022 को पूर्व के प्रचलित नियमों के अनुसार स्वीकृत अवकाश नगदीकरण रजिस्ट्री आदेश क्रमांक डी-2069, दिनांक 9 सितम्बर 2022 निरस्त किया जाता है.

क्र. B-5684-दो-3-420-80-भाग-बारह.—श्री ओंकार नाथ, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायसेन को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक 3487-इक्कीस-ब(एक)-2023, दिनांक 26 अप्रैल 2023 के संलग्न प्राप्त आर्डर शीट अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, भोपाल द्वारा अनुमोदित अखिल भारतीय सेवाएं (अवकाश) नियम, 1955 के नियम 20ए के अनुसार—श्री ओंकार नाथ की सेवानिवृत्ति दिनांक 31 जुलाई 2022 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

1. अर्जित अवकाश	.. 258
अर्द्धवेतन अवकाश	.. 42

योग : 300 दिवस

2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी:—

(i) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान 258 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.

(ii) सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अवकाश वेतन अनुज्ञेय+महंगाई भत्ता

अर्द्धवेतनिक अवकाश
के एवज में नगद = _____ X 42
भुगतान. 30

क्र. B-5701-दो-2-22-2023.—श्री सुनील कुमार जैन (जूनियर), तृतीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को दिनांक 3 से 9 जुलाई 2023 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश एवं दिनांक 10 से 11 जुलाई 2023 तक, दो दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री सुनील कुमार जैन (जूनियर), तृतीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित/कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुनील कुमार जैन (जूनियर), उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो तृतीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-5704-दो-3-53-2005.—श्री कपिल मेहता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, खण्डवा को दिनांक 31 जुलाई से 5 अगस्त 2023 तक, छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 6 अगस्त 2023 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री कपिल मेहता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, खण्डवा को खण्डवा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री कपिल मेहता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-5706-दो-2-64-2021.—श्री ओ. पी. एस. रघुवंशी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, छतरपुर को दिनांक 3 से 6 जुलाई 2023 तक, चार दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री ओ. पी. एस. रघुवंशी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, छतरपुर को छतरपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ओ. पी. एस. रघुवंशी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-5708-दो-2-115-2017.—श्री अंजनी नंदन जोशी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, दमोह को दिनांक 16 से 18 अगस्त 2023 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 15 अगस्त 2023 के तथा

अवकाश के पश्चात् में दिनांक 19 एवं 20 अगस्त 2023 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री अंजनी नंदन जोशी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, दमोह को दमोह पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अंजनी नंदन जोशी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-5712-दो-2-55-2022.—श्री दीपक गुप्ता, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवपुरी को दिनांक 3 से 5 जुलाई 2023 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 2 जुलाई 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री दीपक गुप्ता, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवपुरी को शिवपुरी पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री दीपक गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-5714-दो-2-47-2022.—श्रीमती तृप्ति शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा को दिनांक 16 से 18 अगस्त 2023 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 19 एवं 20 जुलाई 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती तृप्ति शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा को हरदा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती तृप्ति शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

जबलपुर, दिनांक 10 अगस्त 2023

क्र. B-5798-दो-2-63-2018.—श्री आर. के. वाणी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन को दिनांक 3 से 4 जुलाई 2023 तक, दो दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 4 जुलाई 2023 का एक दिन का अर्जित अवकाश, उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है।

जबलपुर, दिनांक 17 अगस्त 2023

क्र. A-5069-दो-2-40-2018.—श्री जाकिर हुसैन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)-19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 19 अगस्त 2020 से 18 अगस्त 2022 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. B-5915-दो-2-27-2020.—श्री अनिल कुमार सिंह, तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर द्वारा होम एल. टी. सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण दिनांक 1 नवम्बर 2021 से 31 अक्टूबर 2023 तक की ब्लाक अवधि हेतु दस दिवस (केवल दस दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 (1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666-इक्कीस-ब (एक) 2011, दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

क्र. D-3484-दो-2-65-2018.—श्री सुनील कुमार जैन (जूनियर), तृतीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को दिनांक 28 जून से 1 जुलाई 2023 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री सुनील कुमार जैन (जूनियर), तृतीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित/कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुनील कुमार जैन (जूनियर), उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो तृतीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-3486-दो-2-46-2023.—श्री दिनेश कुमार सिंह, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को दिनांक 3 से 7 जुलाई 2023 तक, पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 2 जुलाई 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री दिनेश कुमार सिंह, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री दिनेश कुमार सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 18 अगस्त 2023

क्र. B-5919-दो-2-10-2018.—सुश्री भावना साधौ, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पन्ना को दिनांक 31 अगस्त से 2 सितम्बर 2023 तक, तीन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 30 अगस्त 2023 के एवं अवकाश के पश्चात् में दिनांक 3 सितम्बर 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर सुश्री भावना साधौ, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पन्ना को पन्ना पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री भावना साधौ, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, विशेष कर्तव्यव्यवस्था अधिकारी।

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ, इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 2 अगस्त 2023

क्र.-अवकाश-1182.—श्री एम. व्ही. आर. बालाजी सर्मा, डिप्टी रजिस्ट्रार (एम), मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, इन्दौर को दिनांक 3 से 24 जुलाई 2023 तक, बाईस दिवस का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

लघुकृत अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी पद से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एम. व्ही. आर. बालाजी सर्मा, यदि अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी रजिस्ट्रार (एम) के पद पर पदस्थ रहते।

इन्दौर, दिनांक 11 अगस्त 2023

क्र.-अवकाश-1259.—श्री राजेश कुमार शर्मा, ज्वाइंट रजिस्ट्रार (एम), मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, इन्दौर को दिनांक 28 जुलाई से 1 अगस्त 2023 तक, पाँच दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेश कुमार शर्मा यदि अवकाश पर नहीं जाते तो ज्वाइंट रजिस्ट्रार (एम) के पद पर पदस्थ रहते।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
अजय प्रकाश मिश्र, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार।

मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, ग्वालियर

ग्वालियर, दिनांक 11 अगस्त 2023

क्र.-3592-स्था-2023.—श्री महफूज अहमद, तत्कालीन डिप्टी रजिस्ट्रार (एम), मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, ग्वालियर को दिनांक 17 से 26 जुलाई 2023 तक कुल दस दिवस का लघुकृत अवकाश पूर्व में दिनांक 15 व 16 जुलाई 2023 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री महफूज अहमद, तत्कालीन डिप्टी रजिस्ट्रार (एम), मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया गया है।

लघुकृत अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री महफूज अहमद, तत्कालीन डिप्टी रजिस्ट्रार (एम), उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी रजिस्ट्रार (एम), के पद पर कार्यरत रहते।

ग्वालियर, दिनांक 16 अगस्त 2023

क्र.-3644-स्था-2023.—श्री प्रशांत पी. गाड़े, डिप्टी रजिस्ट्रार (एम), मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, ग्वालियर को दिनांक 17 से 25 जुलाई 2023 तक कुल नौ दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 15 व 16 जुलाई 2023 का सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री प्रशांत पी. गाड़े, डिप्टी रजिस्ट्रार (एम), मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रशांत पी. गाड़े, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी रजिस्ट्रार (एम), के पद पर कार्यरत रहते।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
अखिलेश कुमार मिश्र, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार.